जनवरी - मार्च 2013

श्रमिक दुनिया

सहयोग राशि- 10/- रुपये

इस अंक में...

- मजदूरों के हक और उनका उल्लंघन 3
  - विनोद कुमार
- सफाई मजदूरः मेन्होल क्यूँ हुए मौत के कुंए 5
  - राज वाल्मीकि
- घरेलू कामगारों की स्थिति 8
  - शिवानी भारद्वाज
- गुजरातः नमक मजदूरों से नमक हरामी 10
  - अशोक कुमार सिंह
- हरियाणाः मारुती मजदूरों की जारी लड़ाई 12
  - मनीष जैन
- स्वर्ग से विदाई 18
  - गोरख पांडे
- बिहारः मनरेगा मजदूर यूनियन उभरी 20
  - अशोक सिन्हा
- राजस्थानः ईंट भट्ठा मजदूरों का आन्दोलन 22
  - सुधीर कटियार
- दिल्लीः सीमापुरी की कबाड़ी बस्ती 26
  - नवेश
- उ. प्र.ः निर्माण और पत्थर खदान मजदूर 28
  - नाजिम अंसारी
- हाकरों के लिए कानून की जरूरत 30
  - वेद प्रकाश
- दक्षिण अफ्रीकाः खान मजदूरों की सस्ती जान 31
  - 'नागरिक'
- श्रमिक मंच का प्रस्ताव 33
  - 'हमारी सोच'
- गीत 35

हम लोग हैं ऐसे दीवाने

हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदलकर मानेंगे
मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे।
हम लोग हैं ऐसे दीवाने.....

जो लक्ष्य हो अपना पूरा हो, उस वक्त तसल्ली पाएंगे
ऐसे तो नहीं टलने वाले, हम आगे बढ़ते जाएंगे
इस दिल में हजारों मौजें हैं, तूफान उठाकर मानेंगे।
हम लोग हैं ऐसे दीवाने.....

दो दिन की बहारें हैं जग में क्यों जुल्म किसी का चलता है
इस जुल्म का सूरज लाख जले, हर शाम को लेकिन ढलता है
नफरत के शोले दिल में हैं, हम उनको बुझाकर मानेंगे।
हम लोग हैं ऐसे दीवाने.....

सच्चाई की खातिर इस युग में गांधी ने भी गोली खाई है
ईसा को चढ़ाया सूली पर, बच्चों ने भी जान गंवाई है
हां, हम भी किसी से कम तो नहीं, तकदीर बदलकर मानेंगे।
हम लोग हैं ऐसे दीवाने.....

श्रमिक दुनिया
जनवरी-मार्च 2013

संपादकीय सलाहकार
लाल बहादुर वर्मा
सुरेन्द्र प्रताप

संपादक
राजेश उपाध्याय

संपादन समिति
वेद प्रकाश
मनीष जैन
अशोक सिंह
शिवानी भारद्वाज
हरीश पटेल
शशि भूषण

प्रबंध सहयोग
राहुल मानव

सहयोग राशि
दस रुपये

वार्षिक सदस्यता
पचास रुपये

संपर्क
फ्लैट नंबर बी-1, ओम प्लाजा,
प्लाट-97, राजेंद्र नगर सेक्टर-5,
साहिबाबाद, जिला- गाजियाबाद (उ.प्र.),
पिन-201005 मो. 09871484549
ई-मेलः duniyashramik@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी विचार हैं। पत्रिका का उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है।

मजदूरों की दुनिया में खलबली

मजदूरों की दुनिया में खलबली है। संगठित क्षेत्र की बात करें तो मारुती सुजुकी के मानेसर प्लांट के मजदूरों का संघर्ष दिन पर दिन उफान पकड़ता जा रहा है। कम्पनी और सरकार की सारी साजिशें और दमन मिलकर भी मजदूरों का साहस नहीं तोड़ पाए। यह मजदूर आंदोलन न सिर्फ जारी है, बल्कि अब इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र के ऑटो उद्योग के मजदूरों को एकजुट करने की राह पर अग्रसर है। यह पूंजीवादी तानाशाही जो एक लोकतंत्र का मुखौटा लगाए रहती है, इस आंदोलन को कुचलने में अपने सारे आवरण उतार कर अपना दानवी चेहरा लिए सामने है। फर्जी मुकदमों में मजदूरों को फंसाना, सरकार द्वारा प्रबंधन के जर-खरीद गुलामों के तौर पर बर्ताव करना, न्यायपालिका द्वारा बिना ठोस सबूत के आरोपी मजदूरों की जमानत से इनकार करना, मीडिया द्वारा मजदूरों पर अत्याचार और उनकी पक्ष के प्रति चुप्पी, पुलिस द्वारा हर तरह से मजदूरों के परिवारों और रिश्तेदारों को परेशान करना, संसद का मौन-सब कुछ साफ हो गया।

वहीं एक और मिसाल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने भी दी। भीलवाड़ा में पहली बार ईंट भट्ठों के मजदूर संगठित हुए, आंदोलन की राह पर चले, दमन झेला और अंत में अपनी फौरी विजय हासिल की। मालिकों ने मजदूरी बढ़ाने का समझौता किया। दिल्ली में निर्माण मजदूरों और घरेलू मजदूरों ने सम्मलेन किया। बिहार में मनरेगा मजदूरों ने अपनी अखिल भारतीय यूनियन की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका से खान मजदूरों के मारे जाने की खबर तो आई, पर यह भी पता चला कि वहाँ भी मजदूर सरकार परस्त यूनियनों से पीछा छुड़ाकर अपनी नई राह तलाश रहे हैं। खलबली संगठित क्षेत्र में भी है और असंगठित क्षेत्र में भी, देश में भी है और विदेशों में भी। इस खलबली में से ही आगे के रास्ते निकलेंगे। मजदूर अपनी नई राह तलाश रहे हैं।

इन सब मुद्दों के साथ यह अंक नमक मजदूरों, घरेलू कामगारों, सफाई मजदूरों, निर्माण मजदूरों, पत्थर खदान मजदूरों, मजदूरों के हक और उनके उल्लंघन पर भी चर्चा करता है। मजदूर वर्ग के ये अलग अलग हिस्से एक दूसरे के सहयोगी बन सके तो उनकी साझी ताकत और बढ़ेगी।

मजदूर आंदोलन में जो खलबली है और उस खलबली में आगे के एक नए मजदूर आंदोलन के उभरने की जो संभावनाएं हैं वे तभी हकीकत में उतरेंगी जब मजदूर आंदोलन के नेता और उनका साथ देने वाले अन्य संगठन और समूह अपनी ब्राह्मणवादी अस्पृश्यता की मनोदशा से ऊपर उठकर मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों और संगठनों को मुद्दों के आधार पर एक जगह इकट्ठा करना शुरू करेंगे। हांलाकि अति वाम और अति दक्षिण धाराओं के साथ आने की संभावनाएं निकट भविष्य में कम हो सकती हैं पर व्यापक घेरे की वाम, प्रगतिशील और जनतांत्रिक ताकतें अगर मजदूरों की आजादी और सम्मान के लिए एक साथ आगे आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए उनमें से, हम में से हर किसी को अपनी ओर से बिना किसी गिले-शिकवे के पहलकदमी लेनी होगी।

यह पहलकदमी अन्य सामाजिक संगठनों, आंदोलनों और विचारधारों के साथ भी साझी करनी होगी। एक ऐसा व्यापक सामाजिक बदलाव जो हर इंसान को इंसान बना सके और हर किस्म की गैर बराबरी और शोषण को समाप्त कर सके, कम से कम आज तो किसी एक संगठन और विश्लेषण के बस का नहीं लगता। गैर बराबरी के तमाम रूपों (वर्ग, जाति, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता, क्षेत्र, रंग, नस्ल, उम्र, आदि पर आधारित) का खात्मा चाहने वाले बहुत से संगठन और समुदाय एक साथ मिलकर ही सफल हो सकते हैं। अलग अलग तो सभी पराजित ही होंगे। हाँ, जब तक तमाम समानता के संघर्ष, वर्ग असमानता और मजदूर वर्ग के सम्मान को अपने साथ जोड़ कर नहीं चलेंगे, उनकी मंजिल पूंजीवादी असमानता के किसी रूप में ही खत्म हो जायेगी।

हाल में दिल्ली में एक मजदूर की बेटी के साथ हुए बलात्कार की घटना से उभरी खलबली ने पितृसत्ता द्वारा स्थापित लिंग आधारित असमानता और शोषण के सवाल को सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचार और कारवाई के केंद्र में ला दिया। मजदूर आंदोलन को इस पर अपनी नई राय बनानी होगी, या एहसास और गहराना होगा। अपने आंदोलन में प्रायः हाशिए पर चले जाने वाले जाति, लिंग और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को समाहित करना होगा। वैसे ही जैसे अन्य आंदोलनों को वर्ग दृष्टिकोण से और ज्यादा लैस होने की जरूरत है।

'श्रमिक दुनिया' एक पत्रिका के रूप में और एक समूह के रूप में मजदूर आंदोलन को मजबूत करने में अपना योगदान करने को वचनबद्ध है।

मजदूरों के हक और उनका उल्लंघन

■ विनोद कुमार

मजदूरों के हक आज अपवाद बनते जा रहे हैं, और उनका उल्लंघन आम नियम के तौर पर दिखाई दे रहा है। स्थिति तो यहां तक जा पहुंची है कि इन अपवादजनक नियमों/हकों को भी समाप्त करने की बात जोर-शोर से की जा रही है, कहा जा रहा है कि मजदूरों के हक विकास के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। जिस तरह से औद्योगिक विकास के नाम पर आदिवासी/स्थानीय जनता को उसके तमाम हकों से वंचित कर उसे विस्थापित करने के लिए पर्यावरण/वन/खनिज संपदा संबंधी तमाम कानूनों की न सिर्फ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि उन्हें पुराने और फालतू कह कर बदलने और रद्द करने की मांग की जा रही है। उसी तरह से विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने की होड़ में तथाकथित श्रम सुधारों की वकालत करने वाले लोग मालिकों के लिए खुली छूट की मांग कर रहे हैं वे चाहते हैं कि कारखाना मालिक अपनी मर्जी से जब चाहे जिस किसी को काम पर रखे, जब चाहे निकाल बाहर करे। वे चाहते हैं कि विदेशी पूंजी निवेश और उसके मुनाफे की रक्षा के लिए जो भी मांग की जाए उसे पूरा किया जाए और यदि इस प्रक्रिया में मजदूर या स्थानीय जनता को कुछ नुकसान भी पहुंचता है, तो विकास और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए उसकी अनिवार्यता को मानकर उसे स्वीकार किया जाए विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ई.पी.जेड.) जैसी परिघटनाएं इसी सोच का नतीजा हैं।

लेकिन आईए, जरा देखें कि जिन मजदूर हकों को लेकर पूंजीपति, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ, समाचार माध्यम और सरकारें इतना ज्यादा बेचैन हैं, उनकी हकीकत क्या है और उन्हें किस हद तक लागू किया जा रहा है। इन हकों को लागू करवाने में, उन्हें अनदेखा किए जाने में या उनके खुल्लम खुल्ला उल्लंघन में सरकारी मशीनरी की क्या भूमिका है? इस संबंध में मौजूदा हालात के आकलन के उद्देश्य से हम इस लेख को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक ही सीमित रखेंगे, हालांकि हमें पूरा भरोसा है कि देश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में विद्यमान स्थिति एन.सी.आर. क्षेत्र की तुलना में खराब ही होगी।

सबसे पहले लेते हैं, सबसे बुनियादी और सबसे अहम विषय वेतन का, जिसके लिए तमाम मजदूर अपने घर परिवार और गांव को छोड़कर देश के कोने-कोने से औद्योगिक इलाकों में आकर 12-16 घंटे प्रतिदिन जानवरों से भी बदतर हालात में मेहनत मजदूरी करना स्वीकार कर लेते हैं। वजह यही होती है कि उनके अपने गांव में आजीविका के साधन नहीं के बराबर होते हैं, और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। यहां एक थोड़े से अलग विषय पर भी एक वाक्य अप्रासंगिक नहीं होगा। अक्सर कहा जाता है कि गांवों से आकर दिल्ली या अन्य महानगरों, औद्योगिक केन्द्रों में काम करने वाले मजदूर इन जगहों के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। इस संबंध में दो बातें-पहली यह कि ये मजदूर अपने शौक के लिए या बहुत उच्च स्तर का जीवन जीने के लिए शहरों में नहीं आते हैं, वे बेहद मजबूरी में और वह भी सिर्फ खुद और अपने परिजनों को जीवित रखने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरी बात, वे इन महानगरों की जीवन रेखा बनते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, और इन महानगरों में रहने वाले उच्च और उच्च मध्यवर्गीय लोगों की विलासितापूर्ण जीवन शैली को सुगम बनाते हैं, उसे अपनी पीठ पर ढ़ोते हैं।

दिल्ली और एन.सी.आर. क्षेत्र में शामिल हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के औद्योगिक इलाकों में राज्य सरकारों द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन 100 रुपये प्रतिदिन से 328 रुपये प्रतिदिन तक है, इसे अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में यह राशि न्यूनतम है और दिल्ली में अधिकतम है। लेकिन गिने-चुने बड़े उद्योगों को छोड़कर कहीं भी इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। जिन उद्योगों में इस नियम के अनुसार वेतन दिया भी जाता है वहां पर भी कई तरीकों से इससे बचने के रास्ते भी बना लिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर इन उद्योगों में स्थायी श्रमिकों की संख्या जान बूझकर कम रखी जाती है। श्रमिकों की एक बड़ी तादाद ठेके पर रखी जाती है और ठेका श्रमिकों के मामले में न्यूनतम मजदूरी के नियम का पालन नहीं किया जाता है। ये ठेकेदार आमतौर पर कारखाना मालिकों के लठैतों या बाऊंसरों के तौर पर भी कार्य करते हैं। ठेका श्रमिकों को आमतौर पर 3000 रुपये से 4000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है।

इस ठेका व्यवस्था से कारखाना मालिकों को कई तरह के दूसरे फायदे भी मिलते हैं। उन्हें इन मजदूरों के लिए पी.एफ, ई.एस.आई. जैसी सुविधाओं का प्रबंध नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये श्रमिक उनके अपने रिकार्ड में दर्ज नहीं होते हैं। चाहे काम के घंटे का सवाल हो, चाहे साप्ताहिक अवकाश का, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो या काम के दौरान चोट लगने पर मुआवजे या इलाज की, इस व्यवस्था से कारखाना मालिक तमाम तरह की जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रम विभाग या उद्योग विभाग के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। प्रशासन के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को इस गोरखधंधे की बखूबी जानकारी रहती है। लेकिन चंद सिक्कों के बदले वे इस सबसे जानबूझ कर आंखें मूंदे रहते हैं, और सिर्फ कागजी खानापूरी के लिए साल दो साल में एकाध बार कुछ कारखानों का इंस्पैक्शन कर किसी-किसी फैक्टरी को नोटिस जारी कर अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। ये नोटिस लाल फीते वाली फाईलों में दब जाते हैं। किसी अपवाद की स्थिति में अगर कोई जुरमाना लगाया भी जाता है तो या तो वह इतना नाम मात्र के लिए होता है कि फैक्टरी मालिक को उसका भुगतान करने में

कोई दिक्कत नहीं होती है। अन्यथा वह जुरमाने के खिलाफ अपील कर देता है और फिर छोटी अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक वकीलों को खरीद कर अदालत से मनमाफिक फैसले हासिल करना भी असंभव तो नहीं है।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है मजदूरों की शिकायतों और मांगों के हल के लिए सामूहिक तौर पर संगठित होने और आन्दोलन करने का हक। अर्थात अपनी यूनियन बनाने का हक। आखिर मालिक लोगों के भी तो जिला या स्थानीय स्तर से शुरू कर राष्ट्रीय स्तर तक के संगठन हैं, जो उद्योग वाणिज्य जगत के हितों की रक्षा के लिए देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तक को प्रभावित करने की इतनी क्षमता रखते हैं कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी राय को ध्यान में रख कर ही फैसले किए जाते हैं। मजदूरों के पास भी यह हक है। लेकिन जब मजदूर इस हक को लागू करने की कोशिश करते हैं, तो शुरू से ही एक के बाद एक अड़चनें खड़ी की जाती हैं, और ऐसा करने में सरकारी अमला फैक्टरी मालिक से भी चार कदम आगे बढ़कर काम करता है। यूनियन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में शुरू से ही रोड़े अटकाए जाते हैं। और सबसे पहली खबर जाती है फैक्टरी मालिक के पास। और ऐसी स्थिति में फैक्टरी मालिक का पहला कदम होता है यूनियन बनाने के लिए पहल करने वाले अगुवा मजदूरों को फैक्टरी से बाहर करने का। उन पर अपने किराए के गुण्डों से हमला करवाने का। मजदूरों के बीच जाति, संप्रदाय या क्षेत्र के आधार पर फूट डालने का या पैसे के जोर पर उन्हें खरीदने का। अक्सर यह देखने में आता है, कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर पहले मालिकों से, फिर श्रम विभाग से और फिर श्रम विभाग की मध्यस्थता में त्रिपक्षीयवार्ता के जरिए हल हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया से गुजर कर विफल होने के बाद वे आंदोलन-संघर्ष का रास्ता पकड़ते हैं। आंदोलन शुरू होते ही उनका सामना मालिकों के बाऊंसरों से होता है, और फिर कानून और व्यवस्था के रखवाले पुलिस-प्रशासन से टकराव। इस दौर में कुछ लोग घायल होते हैं, कुछ सस्पेंड और कुछ बर्खास्त। किसी-किसी को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। और फिर शुरूआत में सामने रखी गई मांगें कहीं पीछे छूट जाती हैं। संघर्ष से पहले की स्थिति भी हाथ से फिसल जाती है और फिर यथा स्थिति बहाल करने की मांग ही मुख्य मांग बन जाती है। इस पूरे दौर में मालिक-सरकार-पुलिस-प्रशासन की भरसक कोशिश रहती है कि मजदूरों का मनोबल पूरी तरह से कुचल दिया जाए। अंत में मजदूर फिर मजदूरी शुरू करते हैं और साथ ही कई सालों तक थाना और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं।

बहुत पहले की बात है, तब मारुति की गुड़गांव फैक्टरी की मजदूर यूनियन मालिकों की पालतू नहीं थी। मजदूरों की वित्तीय प्रोत्साहन (इंसेटिव) संबंधी मांगों को लेकर उसने संघर्ष चलाया था। आन्दोलन जुझारू था, थोड़ा लंबा खिंचा था लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। आंदोलन के समाप्त होने के बाद कंपनी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने कहा था, कि उसकी कंपनी मजदूरों की मांगों को मान सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे न केवल कंपनी के बल्कि पूरे उद्योग जगत के दूरगामी और सामूहिक हितों की चिंता थी। वह जानता था कि मजदूरों की एक छोटी से जीत उनके मनोबल को कई गुना बढ़ा सकती थी।

इस घटना का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि आज जब समूचा उद्योग जगत एकजुट है और उसके साथ केन्द्र और राज्य सरकारें और उनकी ताकत भी जुटी हुई है, ऐसी स्थिति में इस बारे में शंका उठना स्वाभाविक है, कि क्या अलग-अलग स्थानों पर एक दूसरे से कटे हुए फैक्टरी स्तर के मजदूर संगठन/यूनियन मजदूरों की हित रक्षा में समर्थ हो सकते हैं। मजदूरों को इस बारे में गंभीरतापूर्वक ध्यान देने और विचार करने की जरूरत है, कि वे अपने हितों की रक्षा करने के लिए बदली हुई परिस्थिति में किन उपायों का सहारा लें।

"वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके"

वो सब कुछ करने को तैयार.....

- बर्तोल्त ब्रेख्त

वो सब कुछ करने को तैयार
सभी अफसर उनके
जेल और सुधार-घर उनके
सभी दफ्तर उनके
वो सब कुछ...

कानूनी किताबें उनकी
कारखाने हथियारों के
पादरी प्रोफेसर उनके
जज और जेलर तक उनके
सभी अफसर उनके
वो सब कुछ.....

अखबार, छापेखाने
हमें अपना बनाने के
बहाने चुप कराने के
नेता और गुण्डे तक उनके
सभी अफसर उनके
वो सब कुछ.....

एक दिन ऐसा आयेगा
पैसा फिर काम न आएगा
धरा हथियार रह जाएगा
और ये जल्दी ही होगा
ये ढांचा बदल जाएगा.....

सफाई मजदूर

मैनहोलः मौत के कुए, क्यों हुए?

■ राज वाल्मीकि

शहरों की स्वच्छता कायम रखने के लिए, रोजमर्रा की जिन्दगी में लोगों द्वारा की जा रही गन्दगी को नदियों और समुद्र में बहाने के लिए बनाये गये सीवर सिस्टम की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। गन्दगी को बहा ले जाने वाला सीवरेज सिस्टम हमारे शरीर की धमनी-शिराओं और किडनी की तरह काम करता है। हमारे मल-मूत्र, कचड़े और कारखानों के जहरीले रसायनों को इन सीवरों के जरिए ही नदियों या समुद्रों में बहाया जाता है। यदि कोई सीवर जाम हो जाता है और उसका पानी सड़कों पर फैल जाता है तो बदबू के कारण लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही सीवरों के जाम खोलने के लिए हमारे देश में आपके और हमारे जैसे इन्सान सीवरों के इन मैनहोलों में उतरते हैं-उन्हें साफ करने के लिए, जाम खोलने के लिए, ताकि आपको और हमें बदबू का सामना न करना पड़े, हमारे आपके घर की स्वच्छता व्यवस्था बाधित न हो। पर आप और हम आए दिन अखबारों में मैनहोल में उतरने वालों की मौत की खबरें पढ़ते रहते हैं। कौन हैं ये जान जोखिम में डालकर सीवरों की सफाई करने वाले, क्या है इस सफाई व्यवस्था का सच? क्यों बन गया है ये जोखिम भरा काम? और क्यों बन गये हैं मैनहोल, मौत के कुंए? पिछले कुछ वर्ष में दिल्ली में मैनहोलों में मरने वालों के कुछ उदाहरण हैं- 27 जनवरी 2009 को बवाना सेक्टर-2 में गहरे सीवर में सफाई करते हुए ठेकेदारी मजदूर रामवीर और मनपाल की मौत, 20 मार्च 2009 को नरेला सेक्टर-6 दिल्ली के डी.डी.ए. ठेके पर सीवर साफ करते हुए अशोक की मौत, गैस लगकर गंभीर रूप से घायल लोकेश की भी कुछ महीनों बाद मौत, 13 मई 2009 को बी.एस.एफ. कैम्प, छावला में सफाई कर्मचारी दर्शन सिंह की मौत, उसे बचाने की कोशिश में हवलदार सिंह और सिपाही नरेन्द्र प्रताप ने भी जान गंवाई, 18 अप्रैल 2011 को बवाना में अनिल और हरेन्द्र की मौत, 8 अगस्त, 2011 को रोहिणी सेक्टर-19 में रामपाल की मौत, 16 अक्टूबर 2011 को नोएडा सेक्टर-11 में संजय उर्फ बब्बर और रउफ की मौत आदि।

दरअसल, सीवरेज सिस्टम सिर्फ हमारे शहर का ही नहीं बल्कि सारे देश और पूरे विश्व की अहम स्वच्छता प्रणाली है। पर विडम्बना यह है कि अन्य देशों की तुलना में हमारा देश तकनीकी प्रणाली में बहुत पिछड़ा हुआ है। फलस्वरूप यहां सीवर साफ करते समय होने वाली मौतों की संख्या सर्वाधिक है। हमारे यहां तो मानव मल ढोने जैसी अमानवीय प्रथा आज भी प्रचलित है। मानव का मल एक मानव ही साफ करे इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। पर दुखद है कि हमारे यहां ऐसा अभी हो रहा है। शुष्क शौचालयों की सफाई, सेप्टिक टैंक की सफाई, रेलवे टैंक की सफाई और सीवरों की सफाई आज भी मैनुअली कराई जा रही है। इस संबंध में सफाई कर्मचारी आन्दोलन ने वर्ष 2003 में एक जनहित याचिका सुप्रीमकोर्ट में दाखिल की थी जिसकी कानूनी लम्बी लड़ाई आज भी जारी है। बाद में कामगार स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल, मैनहोल कामगार यूनियन और लोक अधिकार संघ ने मैनहोल कामगारों के सरोकारों के प्रति संवेदनशील होते हुए गुजरात हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जिसकी सुनवाई करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने पहली बार 15 फरवरी 2006 को दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला जारी की। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में भी वर्ष 2007 में सफाई कर्मचारी आन्दोलन सहित 24 संगठनों ने मिलकर जनहित याचिका दायर की जिस पर 20 अगस्त 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश जारी किए तथा अंतरिम आदेश पारित किए जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं-

1. सीवर कर्मचारी को बिना किसी शुल्क के चिकित्सा परीक्षण और इलाज मुहैया कराए जाएंगे। और ऐसे सभी कर्मचारी जो किसी व्यवसाय जनित व्याधि या दुर्घटना से ग्रसित पाए गये हैं का इलाज कर्मचारी के रोग मुक्त हो जाने या मृत्यु तक निशुल्क जारी रहेगा।
2. सीवर कर्मचारियों की सेवाएं प्रतिवादियों या उनके द्वारा नियुक्त किए गये ठेकेदारों द्वारा बीमारी की अवधि के दौरान समाप्त नहीं की जानी हैं और उन्हें सेवारत ही माना जाएगा और उन्हें उनका वेतन दिया जाएगा।
3. किसी कर्मचारी, ठेके पर कार्यरत कर्मचारी सहित, की मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादी तुरन्त उसके परिवार वालों को एक लाख रुपयों की एक्सग्रेसिया मुआवजा प्रदान करेंगे।
4. प्रतिवादी सभी सीवर कर्मचारियों, ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों सहित, को सभी कानूनन देय राशियों, जैसे कि भविष्य निधि, ग्रेचुएटी और बोनस का भुगतान करेंगे।
5. प्रतिवादी संस्थान के परामर्श से सभी सीवर कर्मचारियों को जल्द से जल्द सभी संभव आधुनिक सुरक्षा उपकरण मुहैया कराएंगे।
6. प्रतिवादी वर्तमान कोटा के अनुसार सभी कर्मचारियों को साबुन व तेल मुहैया कराएंगे, लेकिन मासिक आधार पर, न कि वर्ष के अन्त में।
7. प्रतिवादी दिल्ली जल बोर्ड के आदर्श नियमों के अनुसार प्राथमिक सुविधाओं, सुरक्षित पेय जल, धुलाई की सुविधाएं,

शौचालय एवं मूत्रालय, शिशुपालन गृह जैसा कि आदर्श नियमों में उल्लिखित है, सहित आराम घर व कैन्टीन उपलब्ध करवायेंगे। ये ''स्टोर'' के नाम से जानी जाने वाली उस जगह पर मुहैया कराई जाये जो कि वह स्थान है जहां कर्मचारी अपनी उपस्थिति देने के लिए एकत्र होते हैं और जहां से वे अपने संबंधित कार्यस्थल के लिए रवाना होते हैं

8. दिल्ली जल बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सीवर कर्मचारियों की मृत्यु के मामले में एक्स ग्रेसिया भुगतान, मृत कर्मचारी के परिवार को कर दिया गया है और यदि यह मुआवजा नहीं दिया गया है तो इसे 8 सप्ताह की अवधि के भीतर दे दिया जाए।

इस तरह हम देखते हैं कि सीवर कर्मचारियों की सुविधाओं के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने काफी अच्छे दिशानिर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि सीवर कर्मचारियों के कार्य की दशा मानवीय गरिमा के लिए पूर्णत: असंगत है और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। दिल्ली के 24 स्वयं सेवी संगठनों द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका की सुनवाई 18 अगस्त 2007, 22 सितम्बर 2007 और 1 दिसम्बर 2007 को विस्तृत रूप से की गई। वादी द्वारा निम्नमुद्दे वरीयता के आधार पर विचारित किए गये: 1. सीवर कर्मचारियों की मौतें 2. उनकी स्वास्थ्य व सुरक्षा 3. सीवर कर्मचारियों की मौतों और दुर्घटनाओं को पुन: रोकने व उनकी कार्य-दशाओं को सुधारने के लिए कदम 4. उनकी नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों की मौतों के लिए क्षतिपूर्ति। नई दिल्ली नगर पालिका की ओर से कहा गया कि उन्होंने सीवर कर्मचारियों की कार्यस्थिति में सुधार के लिए निम्न कदम उठाये हैं: 1. यथासंभव सीवरलाईन/मैनहोल की सफाई मशीनों से की जाती है। मनुष्य का प्रवेश उन दुर्लभतम मामलों तक सीमित किया जाता है जहां मशीनी सफाई संभव नहीं। 2. उन स्थितियों में जहां मानवीय सफाई की जाती है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी उपकरण प्रयोग किए जाएं और सभी सावधानियां बरती जाएं। 3. सभी सुरक्षा उपकरण जैसे सांस लेने के उपकरण, पूर्ण मुंह ढकने का सुरक्षा आवरण, सुरक्षा पेटी, टार्च, सुरक्षा चश्में, सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा पेटी, गम बूट, डुबकी लगाने वाले कपड़े, एअर ब्लोअर और एक्जास्ट आदि व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। 4. सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं हस्पतालों आदि के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं राजधानी के उत्कृष्ट हस्पतालों में उपलब्ध करवाई जाती हैं। 5. सभी सीवर कर्मचारियों का एक लाख रुपये का बीमा कराया जाता है जिसके लिए प्रीमियम नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दिया जाता है। 6. सीवर कर्मचारियों को उपलब्धता/वरिष्ठता के अनुसार आवास दिया जाता है। 7. स्टोर/सर्विस सेन्टर पर पीने का पानी, नहाने और कपड़े धोने की सुविधा मुहैया कराई जाती है। 8. स्वयं विभाग द्वारा कर्मचारियों को उपकरण और अन्य सुरक्षा उपकरण के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है।[1] दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार शारीरिक रूप से सफाई व्यवस्था को यांत्रिक सफाई व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

1. दिल्ली जल बोर्ड ने 5 फुट से अधिक गहरी सीवर लाईन को साफ करने के लिए शारीरिक श्रम का प्रयोग बन्द कर दिया है। इसके लिए अतिरिक्त जैटिंग मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।
2. बड़े ट्रंक/बाह्य सीवरों की अतिसंचूषक मशीनों द्वारा शोधित किया जाता है। हालांकि आपात स्थिति में, उचित सुरक्षा उपकरणों के साथ और कनिष्ठ अभियंता की उपस्थिति में गहरे सीवर में प्रवेश की अनुमति दी जाती है।
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पालन किया जा रहा है। क्षतिपूर्ति के बिन्दु पर दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो जहां तक संभव होता है दया के आधार पर नियुक्तियां दी जाती हैं। घायल कर्मचारियों की ली गई बीमा पालिसियों के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाती है। ऐसी स्थिति में जहां ठेकेदार द्वारा अनुबंधित कर्मचारी की मृत्यु होती है तो अधिनियम क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए प्रावधान करता है।

जहां एक ओर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली नगर पालिका एवं दिल्ली जल बोर्ड के निर्देशों की बात है वे बहुत अच्छे हैं। पर असल में इनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है या वास्तविकता क्या है, इसके बारे में सीवर में काम करने वाले मजदूर जो हकीकत बयां करते हैं वह पूर्णत: भिन्न है। उनका कहना है कि सीवर सफाई कर्मचारियों को आज तक आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। सीवर की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के बाद मृतक के परिवार को पुनर्वासित नहीं किया जाता है। उल्टे इतने खतरनाक काम को ठेके पर देकर अपनी कमीशन ठेकेदार से वसूल कर अधिकारी सीवर कर्मचारी को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। सीवर वर्कर के रूप में काम करने वाले सुनील कहते हैं कि सीवर कर्मचारियों को कार्य करने की कोई ट्रैनिंग नहीं दी जाती। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक टांक कहते हैं कि हमने ''स्टोरों'' पर जाकर देखा हमें ऐसे उपकरण कहीं नजर नहीं आए जो सीवर कर्मचारी के जीवन की सुरक्षा मुहैया कराने में प्रयोग किए जाते हैं। औपचारिकतावश यह आदेश कहीं-कहीं जरूर देखने को मिलता है-''सभी सीवर कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि किसी भी सीवर शिकायत एवं सीवर सफाई पर बिना सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा बेल्ट, हैलमेट, दस्ताने, गमबूट इत्यादि के न जाएं। और कोई कर्मचारी सुरक्षा उपकरण के बिना कार्य करता पाया गया तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी।'' आदेशानुसार। वैसे ये पढ़ने में तो अच्छा लगता है पर असलियत यह है कि यह औपचारिकता मात्र है। न इस पर सीवर कर्मचारी ध्यान देते हैं और न प्रशासन। राजू चंदेल नाम का एक सीवर वर्कर कहता है कि बोर्ड तो लगा है पर हमारे पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं होते। ठेकेदार कहता है खुद सुरक्षा उपकरण लेकर आओ। इसलिए हम खुद सुरक्षा उपकरण लाते हैं। गैस मास्क कहीं

है भी तो इस्तेमाल नहीं होता। गैस सिलेंन्डर इतने भारी हैं कि सीवर कर्मचारी उसे बांधकर अन्दर नहीं घुस सकता। ठेकेदार बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर के अन्दर घुसने को बाध्य करते हैं। जबकि किसी को मैनहोल में घुसकर गंदगी साफ करने को बाध्य करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। प्रशासन सिर्फ कहने के लिए कहता है कि हमारे पास सुरक्षा उपकरण हैं। पर प्रैक्टिली कुछ नहीं होता।

जस्टिस एच.सुरेश (रिटायर्ड) कहते हैं कि सीवर की सफाई मैला ढोने और हाथों से गन्दगी साफ करने के समान हैं। हमारी अदालतों ने जीने के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की है। इसमें वो सबकुछ शामिल है जो गरिमा के साथ जीने के लिए जरूरी है। रोजगार और स्वास्थ्य का अधिकार भी जीने के अधिकार का हिस्सा हैं। ये उन लोगों पर भी लागू होता है जो सफाई का काम करते हैं। हरज्ञान सिंह यूनियन लीडर, सीवर कर्मचारी, कहते हैं कि सीवर कर्मचारी मंदबुद्धि, अंधे, बहरे. टी.बी. ओर अस्थमा जैसे रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इनकी सुरक्षा व इलाज की प्रशासन को चिन्ता नहीं है। उनका मानना है कि सरकार ने सीवर कर्मचारियों की भर्ती बन्द कर दी है। सीवर कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है या रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जगह नई भर्ती नहीं की जाती। आबादी बढ़ने के साथ काम बढ़ रहा है पर सीवर कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। मैनहोल की सफाई के लिए कम से कम पांच लोगों की जरूरत होती है। लेकिन कर्मचारियों के अभाव में दो लोगों को भेजा जाता है। ऐसे में दुर्घटनाएं तो होंगी ही। दूसरा यहां जातिवादी फैक्टर भी काम करता है। नब्बे प्रतिशत सीवर कर्मचारी दलित वर्ग से हैं। इन में से भी ज्यादातर वाल्मीकि समुदाय से हैं। ऊपर बैठी उच्च जातिवादी ऑथोरिटी सीवर कर्मचारियों की मौतों को गंभीरता से नहीं लेती। उनका मानना होता है कि दलितों का तो ये काम ही होता है, उनके लिए क्या सुरक्षा मुहैया कराना।

पूर्व श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) श्री आर.एस. तिवारी कहते हैं कि सीवर कर्मचारी सेफ्टी एस्पेक्ट से वंचित हैं। विदेशों में सुरक्षा एस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखा जाता है। वहां ज्यादातर काम मशीनों से होता है। मैनुअली होता भी है तो पूरे सेफ्टी उपकरणों के साथ होता है।[2]

गौरतलब है कि दिल्ली में 5000 कि.मी. से ज्यादा सीवर लाईनें हैं। दिल्ली में हर रोज साढ़े सात हजार करोड़ टन कचरा पैदा होता है।[3] बढ़ती आबादी के साथ ये काम और मुश्किल होता जा रहा है। सीवर कर्मचारियों की मौत की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में क्या प्रशासन से यह उम्मीद की जाए कि सीवर कर्मचारी भी इस देश के नागरिक हैं, उनकी जान से खिलवाड़ न हो इसके लिए प्रशासन सीवर कर्मचारियों की समस्याओं की गंभीरता से लेगा?

[1]दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय मैनहोल सफाई मजदूरों के लिए आशा की एक किरण, दलित अधिकतर शोध एवं संदर्भ केन्द्र, दिल्ली और ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क दिल्ली 2008 द्वारा प्रकाशित।

[2]नरक की रोजी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डिजाईन लैब इन्फ्रोवेयर्स प्रा. लि. 2009

[3]नरक की रोजी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डिजाईन लैब इन्फ्रोवेयर्स प्रा. लि. 2009

(लेखक सफाई कर्मचारी आन्दोलन से जुड़े हैं।)
संपर्क: 9818482899, 36/13 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

तू जिन्दा है.....

-शंकर शैलेन्द्र

तू जिन्दा है तू ज़िदगी की जीत में य़कीन कर
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।

ये ग़म के और चार दिन, सितम के और चार दिन
ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गये हज़ार दिन
कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर।

सुबह-ओ-शाम के रंगे हुए गगन का चूमकर
तू सुन जमीन गा रही है, कब से झूम-झूम कर
तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।

हजार भेष धरके आई, मौत तेरे द्वार पर
मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हारकर
हरेक सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमर
अगर कही.....

हमारे कारवाँ को मंजिलों का इंतिजार है
ये आँधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है
तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।

जमीं के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले
टिके ना टिक सकेंगे भूख, रोग के स्वराज ये
मुसीबतों के सर कुचल, बढ़ेंगे एक साथ हम
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।

बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये
न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इन्कलाब ये
गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।

घरेलू कामगारों के लिए भारत में काम करने की मौजूदा स्थिति

■ शिवानी

गत कुछ वर्ष घरेलू कामगार के मुद्दे को लेकर अखबारों और महिला आयोग में हलचल देखकर उत्साह महसूस होता है। कुछ चुनिन्दा संगठनों ने दो दशक में इस मुद्दे पर कामगारों के साथ मिलजुल कर उनकी नजरों से उनकी परेशानी को समझा। लिखित रूप में इस समझ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पैरवी में बदलने पर 2011 जून में आई.एल.ओ. अधिवेशन 179 और प्रस्ताव 201 को लागू कराने में यह संगठन सफल हुए। इसके बावजूद घरेलू कामगारों को इस अधिवेशन के तहत एक केन्द्रीय कानून और सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाई।

शहरों में ज्यादातर घरेलू कामगार महिलायें हैं। उन महिलाओं पर ज्यादती कम करने के लिए भारत के श्रम मंत्रालय ने घरेलू कामगार नीति बनाई जिसके तहत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, न्यूनतम मजदूरी, प्लेसमेंट एजेन्सी पर नियंत्रण, प्रशिक्षण व घरेलू कामगारों का पंजीकरण करने को मंजूरी देने की बात को मान्यता प्रदान की। परन्तु कुछ तथ्य मान लेना और कामगारों के लिए बेहतर जिन्दगी का मसौदा दिलाना, इस पहलू के दो अलग छोर हैं।

संयुक्त राष्ट्र के सोल्यूशन एक्सचेंज में चर्चा का मुद्दा

श्रम मंत्रालय के श्री अनिल स्वरूप ने सोल्यूशन एक्सचेंज नाम के एक संयुक्त राष्ट्र के मंच से राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कामगार के मुद्दे पर काम आगे बढ़ाने के लिए सुझाव एकत्रित किये थे। यह लेख उन सुझावों का एक सम्मिलित मिश्रण है। सरकार ने माना कि घरेलू कामगार ज्यादा काम करके भी कम मजदूरी ले रहे हैं, उन के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, और कोई भी कानून घरेलू कामगारों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है (अनिल स्वरूप-सोल्यूशन एक्सचेंज)। घरेलू कामगार को निचले दर्जे का काम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि घर में काम करने का मूल्य सबकी समझ में नहीं आता। इसलिए जब महिलायें घर में देखभाल, साफ सफाई और सब का ख्याल रख कर सुबह से रात तक घर के बंदोबस्ती का काम करती हैं, तब भी घर वाले या सरकार उस काम का या तो कुछ भी मूल्य नहीं लगा पाते या फिर उसे बहुमूल्य/अमूल्य करार दे कर उसे कानूनों और मजदूरी के रेट से अलग रखना उचित समझते हैं। भले ही शादी के बाद घर में मातायें, पत्नी या बेटी को सम्मान और अधिकार प्राप्त हैं, पर जब भी घर का काम करना होता है, महिला की भूमिका ही प्रथम माने जाने का प्रचलन है। यह काम कानून और योजना बनाने वाले व्यक्तियों यानि मर्दों को हर दम करा हुआ ही मिला है। इस काम की कीमत भारत में आज तक रुपये में अंकित नहीं की गई है। घर के संसाधन ज्यादातर पुरूषों के नाम होते हैं और महिला को उन पर कानूनी हक बहुत कटुता से गुजर कर ही मिल पाते हैं। जब महिलाओं को प्यार या कानून का रुख करने पर भी घर के संसाधन पर पूरा हक नहीं मिलता तो कामगारों को इस काम के लिए ज्यादा सुविधा और वेतन मिले, यह मुमकिन करना और मुश्किल है। यह बात खास कर और भी मुश्किल इसलिए हो जाती है कि घरेलू कामगार पिछड़े वर्ग के प्रवासी मजदूर होते हैं, जिनका शिक्षण और कौशल महानगरों में कमजोर पड़ जाता है। इस बात को समझते हुए घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए सरकार और कामगार संगठनों ने कुछ दस्तावेज के प्रारूप तैयार किये हैं, जिसमें उनके काम के घंटे, काम का स्वरूप, छुट्टी, काम का वेतन और सालाना भत्ते या महीने भर काम के पैसे, कौशल व ट्रेनिंग को तय किया है। मालिकों को इस बारे में सूचित करना और उनकी सोच में बदलाव ला पाने का काम अभी सुचारू तरीके से नहीं हो पाया है। प्रवासी मजदूरों के लिए वैसे भी कानून और सामाजिक प्रावधान नहीं है। गत 10 बरसों में, विश्व भर में, दो देशों के बीच में घरेलू कामगार को हिंसा व यौनशोषण से सुरक्षा मिली है। सरकारी दूतावास तक अगर इसकी रपट लिखवा दें तो देश के नागरिक की हैसियत से कामगार को देश में वापस भेजने का इन्तजाम सरकार करवाती है। जब घरेलू कामगार देश के बाहर जाते हैं, तो उन का पंजीकरण और पता जानकर ही देश से रवाना किया जाता है, परन्तु देश के अंदर घरेलू कामगार मजदूरों के लिए ऐसी सुविधा कोशिश करने पर भी नहीं बनायी गयी। रेलवे स्टेशनों और ट्रेन के डिब्बों में पुलिस ने बार-बार घर से भागे, या भगाई हुई महिलाओं को पकड़ के घर भिजवाया है, परन्तु यह किस बात का हल है। कामगार अगर काम की तलाश में नए शहर आयें, तो उस के लिए सरकारी प्लेसमेंट सर्विस अथवा उनके प्रदेश के अधिकारियों को उन के लायक हॉस्टल और धर्मशाला की सुविधा देनी चाहिए ताकि सम्मानजनक काम की मंजिल तक वे सुरक्षित पहुंच जाएं।

बिहार, कर्नाटक, झारखंड और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने घरेलू कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1947 के तहत मान्यता प्रदान की है। महाराष्ट्र व तमिलनाडु में घरेलू कामगारों के लिए अगल कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। जिसके तहत उनका पंजीकरण, शिक्षा, विवाह योजना, दुर्घटना, व मौत बीमा लाभ इत्यादि मिलने का प्रावधान है। राष्ट्रीय घरेलू कामगार आन्दोलन के सौजन्य से झारखंड में राष्ट्रीय बीमा योजना के लिए आंकड़े संजोये गए। मध्य प्रदेश के मंडल वेबसाईट पर पंजीकृत घरेलू कामगार की लिस्ट सरकार ने अपलोड करके एक मिसाल दिखाई है कि एक सरकारी महकमा यह काम बखूबी कर सकता है।

कई गैर सरकारी संगठनों और यूनियनों ने कामगारों के साथ मीटिंग कर के उन्हें अपने मुद्दे को ले कर संगठन बनाने के तरीके बता दिये हैं। मीडिया ने भी बाल श्रम के खिलाफ प्रदर्शन को दिखा कर एक एहसास जगाने की कोशिश की है। आज अगर घरेलू कामगार के ऊपर हिंसा हो या फिर कोई बच्चों से कामगारी करा रहा हो तो उसकी रपट पुलिस में जमा करने की सूझ मिल गयी है। इस सारी समझदारी के बावजूद भी बहुत से पड़ाव पार करने बाकी हैं।

घरेलू कामगार के लिए सम्माननीय काम की पैरवी करने में चुनौती

- सरकारी की तरफ से सहारा नगण्य
- घरों में रहने और काम करने वाली घरेलू कामगारों को मीटिंग तक लाना मुश्किल होता है। वो अगर किसी अनहोनी अथवा शोषित अवस्था में हों तो उसका अंदाजा लगाना एक अनुमानित संभावना होती है।
- काम पर रखने वाले 'मालिक' न्यूनतम मजदूरी देने को राजी नहीं होते तो कानूनों का उल्लंघन होता ही रहता है।
- प्रवासी घरेलू बाल मजदूरी पर ध्यान आकर्षण कम हुआ है।
- बाल मजदूरी उन्मूलन और असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2007 को सही तरह से लागू करवाना अभी बाकी है।
- हर राज्य सरकार मजदूर कल्याण बोर्ड के गठन में देरी कर रही है।
- घरेलू कामगारों को वृद्धा पेंशन और कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है।
- प्लेसमेंट एजेंसी और पंजीकरण को नियंत्रित रखने के लिए जिन कानूनों का सहारा लिया गया है, मसलन दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, वो अपर्याप्त हैं।

घरेलू कामगार के मुद्दों पर काम करने के लिए कुछ सुझाव

एक सम्पूर्ण कार्यक्रम, (जिस के तहत कौशल शिक्षण, सूचना केन्द्र, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा के साथ घरेलू कामगारों को कामगार के ऐसे दर्जे पर रखा जाये, जो उनको हक और जिम्मेदारियों को सम्मान प्रदान करते हुए स्पष्ट कर सके) पर सुझाव इस प्रकार है:

- घरेलू श्रमिकों, काम पर रखने वाले नियोक्ताओं और प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण के माध्यम से विनियमन की आवश्यकता है।
- श्रम विभाग को घरेलू श्रमिकों पर एक विस्तृत डाटा बेस रखने और उनके पक्के पंजीकरण दर्ज करने के आधार पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की जरूरत है। इस डाटा बेस में घरेलू काम के सभी कामकर यानि बावर्ची, धोबी, बुजुर्ग और बच्चों की देखभाल करने के कामगार, माली, वाहन चालक आदि शामिल होंगे।
- मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से सतत शिक्षा या छोटे प्रमाण पत्र कोर्स से मौजूदा कौशल का कौशल विकास करने के अवसर बनाएं।
- सेवा प्रदाताओं और सेवा लेने वाले व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र मौजूद होने चाहिए।
- बच्चों की देखभाल के लिए और शिशु बच्चों की माताओं के लिए सुविधाएं घर व काम के पास होनी चाहिए।
- आपसी सहायता समूहों को बढ़ावा दें, जिनसे सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त हो पाए। यह समूह स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सलाह, मनोवैज्ञानिक परामर्श और बुनियादी वित्तीय सेवाओं से जमा और बचत, पेंशन इत्यादि की सुविधाओं को सही तरीके से घरेलू कामगारों तक पहुंचाने का काम अपने स्तर पर करे।
- घरेलू कामगारों का प्रशिक्षण और रजिस्टर प्रबंधन करने के लिए मौजूदा निवासी कल्याण संघ (RWAs) का प्रयोग करें।
- एक आचरण का नैतिक कोड पारस्परिक रूप से सहमति बनाकर सब से मानने का आग्रह करें।

वर्तमान स्थिति और आगे की रणनीति

भारत सरकार अभी तक घरेलू कामगार को एक पूरे असंगठित मजदूर का दर्जा नहीं दे पाई है। घरेलू कामगार हिंसा के शिकार हो जाते हैं, खासकर जब वो बाल मजदूर हों, तब। ऐसे में प्रशासन, मीडिया मुद्दे को सुर्खियों में लाने में मदद कर देती है। परन्तु इतना काम और उन के प्रति संवेदना स्थिति को बदल नहीं पाई है। काम की दर तय करना सही वक्त पर तनख्वाह लेना, बीमारी और प्रसव के समय आमदनी पाना इत्यादि सरकार सुनिश्चित नहीं करा पाई है। घरेलू कामगारों ने आपस में ही बात कर के अपने रास्ते और काम के तरीके तय किए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 16 राज्यों से 100 संगठनों के सम्मेलन में घरेलू कामगारों के लिए एक त्रिपक्षीय बोर्ड की जरूरत को सराहा था, परन्तु अपने कानून की परिधि में उन्होंने इस पहलू को मजबूत नहीं किया। आयोग कामगारों को प्लेसमेंट कर्मियों के चंगुल से कैसे मुक्त करें, केवल इसी मुद्दे को सशक्त करती रही। यह देखकर घरेलू कामगार संगठनों में काफी अशांति रही। विभिन्न तरह से विचार विमर्श करके निम्न मुद्दों पर पैरवी हो रही है:

1. भारत सरकार पर आई इल ओ अधिवेशन 179 और प्रस्ताव 201 को हर क्षेत्र में लागू करने का दबाव हो।
2. घरेलू श्रमिकों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय कानून सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और घरेलू कामगार संगठनों की सहमति से संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के समर्थन के साथ पेश किया जाये।

नमक मजदूरों से नमक हरामी

■ अशोक कुमार सिंह

नमक मजदूरों से नमक हरामी कौन कर रहा हैं? क्या आप कभी नमक उत्पादक कार्य क्षेत्र में गये है? यदि नहीं तो जरूर जाइए और देखिए कि नमक कैसे उत्पादित होता है। आपको हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि आखिर वे कौन लोग है, जो नमक खाते है, मजदूरों का और मजदूरों से नमक हरामी करते हैं। हो सकता है उसमें आप भी हों और हम भी। क्योंकि नमक तो सभी खाते हैं। यदि नमक आपके खाने में न हो तो सारा स्वाद बिगड़ने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर मढ़ी जाती है। और कोई न कोई अपनी गलती स्वीकारता है, लेकिन नमक मजदूर जिसे गुजरात में अगरिया कहते हैं, उससे माफी कौन मांगेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लोगों के स्वाद का ध्यान रखकर अपने पेट पालने की मजबूरी में वह नमक मजदूर भूल जाता है कि वह भी हमारी तरह एक इंसान है।

नमक उद्योग

भारत में उपनिवेश काल के दौरान नमक उत्पादन एवं व्यापार पर सरकार का एकाधिकार था।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नमक सत्याग्रह का बहुत बड़ा योगदान है। जिसके कारण अंग्रेजों को नमक कर समाप्त करना पड़ा था। और आजादी के बाद भारत सरकार ने संविधान के तहत दिशा एवं निर्देश लाकर नमक पर कर की पूर्ण छूट दे दी और नमक सरकार के एकाधिकार से मुक्त हो गया। संविधान की सातवीं अनुसूची में नमक एक जरूरी सामान बता कर केन्द्र सरकार के अधीन कर दिया गया। और नमक उद्योगों को केन्द्रीय नमक आयुक्त के अधीन नियंत्रित करने की व्यवस्था की गयी लेकिन मजदूरों की देखरेख राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई।

सरकार ने कई समितियां नमक उद्योग के प्रगाति का मूल्यांकन करने के लिए गठित कीं। 1950 की समिति ने अनुशंसा किया था कि जो भी नमक उत्पादक दस एकड़ जमीन में उत्पादन करता है, उसे किसी तरह का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1953 में सरकार नमक कर वसूली अधिनियम लागू कर नमक कर की वसूली करने लगी यह कह कर कि नमक संगठन चलाने में बहुत खर्च आता है।

1954-55 में एक पंचवर्षीय प्लान भी बनाया गया था। नमक उद्योग के विकास कल्याण के लिए 1958 में नमक विकास फंड का गठन एक अधिनियम के तहत किया गया था जो कि नमक बोर्ड संचालित करता था। सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिए भी एक कल्याणकारी प्रावधान किया था।

नमक विकास फंड के पैसों का उपयोग प्रशासिनक खर्च, विकास के कार्य एवं मजदूरों के कल्याण के लिए करना था। पर यह स्पष्ट नहीं है कि किस काम के लिए कितना खर्च कर सकते है। परिणाम स्वरूप फण्ड के 80% पैसे का खर्च प्रशासनिक कार्यो पर किया गया है।

नमक आयुक्त के जरिए सरकार उत्पादकों से जो उत्पाद शुल्क वसूलती है वह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। यह शुल्क तीन रुपये पचास पैसे प्रति मेट्रिक टन है। जो अभी तक बदला नहीं है। और यह भी उन उत्पादकों से जो सौ एकड़ भूमि में नमक उत्पादन कर रहे है। 10 एकड़ वालों को तो सभी प्रकार की छूट है।

नमक आयुक्त, भारत सरकार का कार्यालय जयपुर में है और उनको सहयोग देने के लिए डिवीजन स्तर पर चार सहआयुक्त भी हैं जो जोधपुर, कोलकता और दो गुजरात में कार्यरत हैं। जबकि भारत सरकार का मुख्य श्रम आयुक्त 1999 से ही नमक कल्याण बोर्ड का सदस्य है। जो श्रम मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। नमक मजदूरों के लिए लाभकारी घोषित केन्द्रीय योजनाएं हैं-

1. पीने के पानी, वाटर कूलर, पानी रखने की टंकी, टैंकर की सुविधा।
2. मजदूरों के आराम करने के लिए छाया, बच्चों के लिए क्रेश शौचालय।
3. स्वास्थ्य संबंधित दवा, स्वास्थ्य शिविर, आंख जांच शिविर।
4. सामुदायिक भवन, मनोरंजन के साधन जैसे टी.वी. खेल के साधन।
5. नमक मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था।
6. मजदूर आवास
7. मजदूरों की कुशलता बढ़ाने के लिए ओडियो-विजुअल

लेकिन सच्चाई जानना है तो नमक उद्योग उत्पादन क्षेत्र में चले जाइए और आप समझ जाएंगे कि पानी की योजना छोड़ कर कोई भी योजना केन्द्रीय नमक आयुक्त द्वारा नहीं चलाई जा रही है। और अन्य लाभों व योजनाओं को लागू करने के लिए नमक मजदूरों को राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दिया जाता है। जबकि केन्द्रीय नमक आयुक्त नमक की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाने पर ही जोर देता है।

भारत में नमक उत्पादन

यू.एस. मैनुअल भौगोलिक सर्वे बुक वर्ष 2009 के अनुसार भारत दुनिया में नमक उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे नम्बर पर आता है। भारत साल में 20 मिलियन मीट्रिक टन नमक उत्पादन करता है। जिसमें गुजरात में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत में मुख्यत: नमक का उत्पादन गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र गोवा, उड़ीसा, बंगाल आदि राज्यों में होता है।

रोजगार

भारत में नमक का उत्पादन दो प्रकार से होता है। एक उत्पादन सरकार से लाइसेंस अनुमति लेकर दूसरा बिना सरकारी नमक विभाग के लाइसेंस या अनुमति के। भारत में नमक उत्पादन मूलत: निजी क्षेत्र में ही होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में कुल उत्पादन का 5% भी नहीं होता है। 50% उत्पादक बिना लाइसेंस वाले हैं।

गुजरात में भारत के कुल नमक उत्पादन का 75% उत्पादन होता है। जबकि तमिलनाडु में 15%। कुल उत्पादन का बाकी 10% उत्पादन देश के अन्य राज्यों में। तो जाहिर है नमक उत्पादन में गुजरात एवं तमिलनाडु में नमक मजदूर का रोजगार ज्यादा है।

नमक उपभोक्ता

कुल नमक उत्पादन का 50% उपभोग देश के नागरिक करते हैं, जबकि 50% नमक उपभोग उद्योग द्वारा होता है।

नमक उत्पादक

हमारे देश में 10 एकड़-से 500 एकड़ भूमि नमक विभाग ने करीब 3000 उत्पादकों को लीज पर दी हुई है। किसी उत्पादक को 10 एकड़ आबंटित हुई है तो किसी को 100 और बड़ी कम्पनियों को तो 500 एकड़ भूमि तक आबंटित हुई है। मुख्यत: नमक उत्पादकों में निजी व्यक्ति, सहकारी समितियां एवं बड़ी कम्पनियां शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी भूमि आबंटित हुई है, वह व्यक्ति एवं कम्पनियां उतनी ही भूमि पर नमक उत्पादन कर रहे हैं। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने अध्ययन कर साबित किया है कि बड़ी कम्पनियों ने आबंटित भूमि से ज्यादा भूमि अपने कब्जे में किया हुआ है। इस प्रकार नमक उत्पादन भी गैर कानूनी ढंग से हो रहा है। और ये कम्पनियां पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग एवं उद्योग विभागों में पहुंच बढ़ाने में महारथ हासिल कर चुकी हैं।

नमक उत्पादक मजदूर

कुछ खास समुदाय ही नमक मजदूरी का काम करते हैं। बहुत सारे भूमिहीन लोग जो विशेषकर सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ी जातियों/समुदायों से आते हैं, वो टिकाऊ रोजगार के अभाव में और मजबूरी में 6 से 8 महीने का काम करते हैं। कोल समुदाय जो अन्य क्षेत्र में जनजाति है और पूरे गुजरात में अनुसूचित जाति में आते हैं, प्रमुख मजदूर समुदाय है।

इस प्रकार कहें तो आदिवासी एवं दलित समुदाय ही देश के लिए नमक बनाने का कष्टदायक काम करते हैं। तथा उससे संबंधित अन्य काम जैसे ढुलाई, टांसपोर्ट, पीसने एवं पैकेजिंग का काम अन्य पिछड़ी जातियां (जैसे वाघरी भरवाड़, रवारी, अहीर, सिपाही, फकीर, एवं मुस्लिम) करते है। कुछ प्रवासी मजदूर भी नजदीक के राज्यों (राजस्थान, म. प्र., महाराष्ट्र) से आते है। जो मुख्यत: आदिवासी एवं पिछड़ी जातियों के होते हैं।

करीब 3,000,00 (तीन लाख परिवार) पूरे देश में नमक उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। जो देश के वंचित सामाजिक समूह से आते हैं। विशेषकर आदिवासी, दलित, पिछड़ी जातियां एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक।

नमक मजदूरों की स्थिति

ये सभी नमक मजदूर बहुत ही खतरनाक स्थिति में काम करते रहते हैं, रोज मरते हैं और जीने की कोशिश करते हैं। वहां इनके जीने की न्यूनतम जरूरतें (जैसे पानी, परिवहन, स्वास्थ्य एवं बिजली) का अभाव आठों महीने रहता है। दुर्भाग्यवश आज तक इस विशेष प्रकार के काम को विशेष प्रकार के संरक्षण का कानून भी नहीं है, जैसे बीड़ी सिगार मजदूर अधिनियम, सिनेमा थियेटर वर्कर एक्ट आदि।

अभी तक नमक मजदूरों की यूनियनों ने अलग से नमक मजदूर एक्ट की मांग नहीं की है। और तो और साल्ट सेस एक्ट भी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा या सेवाएं एवं शर्तों संबंधी संरक्षण की बात नहीं करता। मजदूरों को क्षारीय पर्यावरण में रहना होता है। जहां उन्हें ज्यादा स्वस्थ हवा, पानी एवं पर्यावरण की जरूरत होती है। लेकिन उन्हें क्षारीय वातावरण में रहना पड़ता है। नमकीन पानी पीना पड़ता है। उन्हें कई बीमारियों तथा अपगंता से जूझना पड़ता है। नमक के धूल एवं कण से उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। उनके पैर-हाथ सड़-गल जाते हैं। ज्यादातर नमक मजदूर जिंदगी के कुछ पड़ाव के बाद अंधे, बहरे एवं अपंग हो जाते हैं। उनके शरीर की चमड़ी पर अल्सर जैसी बीमारी लग जाती है। जो बहुत ही पीड़ादायक एवं कष्टदायक होती है। उनको पेट की बीमारी हो जाती है। उनके लीवर काम नहीं करते। फेफड़े सड़ जाते है। सांस लेने में तकलीफ होती है। वे घुटन महसूस करते हैं। उनकी असमय मृत्यु के साथ ही उनके बच्चों की मृत्युदर भी काफी ज्यादा होती है।

नमक मालिक उत्पादकों द्वारा उन्हें उनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम दी जाती है। और समय पर भी नहीं दी जाती है। जिस कारण उन्हें ब्याज पर मालिकों से कर्ज लेना पड़ता है। वाजिब या जरूरत भर मजदूरी के अभाव से वे न्यूनतम जरूरी खाना भी नहीं खा पाते। और कई दिनों तक परिवार के साथ आधा पेट खाकर गुजारा करते हैं। जिसकी वजह से वे बीमार पड़ जाते हैं। जहां दवा की कोई व्यवस्था नहीं होती है। प्राइवेट थैला छाप डाक्टर मुंह मांगी कीमत पर इलाज करता है। और दवा बेचता है। जिससे इनको और कर्ज लेना पड़ता है।

इनके रहने, आराम करने और मनोरंजन के साधन की व्यवस्था न तो सरकार की तरफ से और न ही नमक उत्पादक मालिकों की तरफ से उपयुक्त रुप में की जाती है। और तो और इनके बच्चों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जैसे आंगनबाड़ी, बालबाड़ी। यदि ये पास के गांव में यह सुविधा लेना भी चाहें तो गांव वाले एक तो जातिगत घृणा करते हैं और गांव की अन्य सुविधाओं से भी वंचित रखते हैं।

सवाल ये है कि नमक मजदूरों से ये नमक हरामी कब तलक चलेगी?

मारुती-सुजुकी मजदूरों का संघर्ष जारी है

पूंजीवादी सरकार का आतंकवादी राज नहीं डिगा सका मजदूरों के साहस को

(निम्न पैराग्राफ मारुती सुजुकी वर्कर्स यूनियन की प्रेस विज्ञप्तियों और उनके समर्थक संगठनों के पर्चों से सीधे तौर पर लिए गए हैं या उन पर आधारित हैं)

प्रस्तुति- मनीष जैन

मारूति सुजुकी की घटना के जिम्मेदार कौन?

मारूति सुजुकी के मानेसर कारखाना में पिछले एक साल में मजदूरों ने यूनियन बनाने व अन्य मांगों को लेकर तीन बार आन्दोलन किया। मारूति प्रबंधन, हरियाणा, व केन्द्र सरकार ने मिलकर इस आन्दोलन को दबाने के लिए मजदूरों को छंटनी करने से लेकर झूठे केस में फंसाने और यूनियन नेताओं को प्रलोभन देकर यूनियन तुड़वाने तक की कोशिश की। मारूति सुजुकी के मजदूरों ने इस तरह की कार्रवाई को झेलते हुए अपनी एकता को बनाये रखा तथा स्थायी, अस्थायी व ठेका मजदूरों के अंतर को भुलाकर पहले से और ज्यादा संगठित हुए। 18 जुलाई 2012 की घटना में एक सुपरवाइजर द्वारा एक मजदूर साथी को जातिसूचक गाली दी गई। जब उस मजदूर ने इसका विरोध किया तो उस पर अभद्रता का आरोप लगाकर निलम्बित कर दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही मजदूरों में असंतोष फैल गया। मारूति सुजुकी वर्कर्स यूनियन के नेताओं ने इस घटना के समाधान के लिए प्रबंधन से वार्ता की और घटना की निष्पक्ष जांच कराने व मजदूर के निलम्बन पर रोक लगाने की मांग रखी। लेकिन प्रबंधन अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने मजदूर यूनियन की मांग को मानने से इंकार कर दिया। वह यूनियन पर अपनी बात को मानने का दबाव बनाता रहा। लेकिन यूनियन के नेता इस दबाव को अस्वीकार करते हुए मजदूरों की जायज मांग रखते रहे। यह वार्ता लगभग तीन बजे अपराह्न तक चलती रही लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच मारूति सुजुकी के दूसरे शिफ्ट के मजदूर भी कम्पनी में पहुंच चुके थे और अपने काम में लग गये। वार्ता के दौरान ही मारूति प्रबंधन ने पूर्वनियोजित ढंग से अपने 150 से अधिक बॉउन्सरों (गुण्डों) को बुला लिया जिससे माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। मारूति प्रबंधन और उसके बॉउन्सरों (गुण्डों) के साथ मजदूरों की झड़प हुई जिसमें प्रबंधन के एक व्यक्ति की मौत हो गयी तथा सैंकड़ों की संख्या में मजदूर व प्रबंधन के लोग घायल हुए। श्रम विभाग खुलकर मारूति सुजुकी प्रबंधन की हां में हां मिलाता रहा और मजदूर यूनियन पर एकतरफा दबाव बनाता रहा। इस तरह मारूति प्रबंधन, श्रम विभाग व प्रशासन ने मिलकर शांतिपूर्वक चल रही वार्ता को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया कि इसका दोष मजदूरों पर मढ़ा जा सके।

मारूति सुजुकी और हुड्डा सरकार अपनी साम-दाम-दण्ड-भेद की नीति को अपनाते हुए वहां के स्थानीय लोगों को मजदूरों के खिलाफ करने का प्रयास कर रही है। इसका उदाहरण है कि 23 जुलाई की पंचायत में विभिन्न दलों के स्थानीय बड़े नेताओं ने शामिल होकर मारूति के मजदूरों पर दमन करने और मारूति सुजुकी कम्पनी के पक्ष में रहने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों की 25 जुलाई की होंडा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के सालाना मजदूर एकजुटता रैली को नहीं होने देने की घोषणा की। उधर मारूति सुजुकी प्रबंधन के वकील तुलसी ने कहा है कि एसआईटी की जांच का संबंध इस बात से नहीं है कि हिंसा क्यों हुई, बल्कि एसआईटी दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश करेगी। केन्द्रीय कारपोरेट मंत्री विरप्पा मोइली ने कहा है कि सरकार मारूति कार संयंत्र के उपद्रवियों को बख्शेगी नहीं, सभी की खोज चल रही है। यानी मजदूरों को मारूति सुजुकी प्रशासन के साथ-साथ, पुलिस प्रशासन, श्रम न्यायालय, कम्पनी के गुण्डों व स्थानीय दबंगों के दमन को भी झेलना पड़ेगा।

मीडिया की भूमिका

मीडिया की भूमिका मजदूर विरोधी रही है। मीडिया मारूति में हुई आगजनी और एक प्रबंधक की मृत्यु की खबर को ही लगातार छापती व दिखाती रही। उसके पीछे की घटना और मजदूरों की मांग को कभी भी छापने या दिखाने का प्रयास नहीं किया। एक तरह से वह इस घटना के लिए मजदूरों को ही दोषी साबित करने में लगी है जबकि सच्चाई इसके उलट है। मजदूर यूनियन ने लगातार वार्ता के द्वारा समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की और दोषी व्यक्तियों को सजा देने की मांग रखी। लेकिन प्रबंधन और प्रशासन ने उनकी मांगों को मानने से मना कर दिया। मीडिया के द्वारा मारूति सुजुकी प्रबंधन हर समय हरियाणा व भारत के शासक वर्ग को एक तरह से धमकी देता रहा कि ऐसी घटना से भारत में निवेश पर असर पड़ेगा। मारूति सुजुकी प्रबंधन की हर बात को तत्परता के साथ अक्षरशः छापने व दिखाने वाली मीडिया

मजदूरों और उनके समर्थन में किये जा रहे धरना-प्रदर्शनों को उतनी ही तत्परता से छिपाने में लगी रहती है।

भारत में पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने की खुली छूट देने की होड़ लगी हुई है जिसमें हरियाणा राज्य का नम्बर अव्वल श्रेणी में आता है। यहां पर सत्ता उन्हें हर सुविधा मुहैया कराने के लिए तत्पर है- सस्ती जमीन, टैक्स की बचत, सस्ती बिजली और पानी (जबकि इसका बोझ आम आदमी से वसूला जाता है) और सबसे बड़ी चीज सस्ता श्रम।

मजदूरों को यूनियन बनाना और हड़ताल करना मान्य है, पर उसको भी अघोषित रूप से समाप्त कर दिया गया है। पूंजीपति और उसकी चाकरी करने वाले भारत के शासक वर्ग मजदूरों द्वारा लड़कर प्राप्त किए गए अधिकारों को एक-एक कर छीनते जा रहे हैं। मजदूरों के अधिकारों को छीनने और दमन की प्रक्रिया वैश्वीकरण-उदारीकरण -निजीकरण की नीतियों को लागू करने के बाद और तेज हो गई है। जो तथाकथित कानून बचा भी है वह शो-पीस बनकर फाईलों में दबा पड़ा है। इसकी झलक हमें 2005 में होण्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड में देखने को मिली। जब मजदूर अपनी जायज मांगों को लेकर सचिवालय भवन पर प्रदर्शन कर मांग पत्र देने गये तो प्रशासन और कम्पनी के गुण्डों द्वारा उनको मारा-पीटा गया। इस तरह भारत और एनसीआर दिल्ली के अन्दर मजदूरों की कई छोटी-बड़ी हड़तालें होती रही हैं जिनको प्रशासन और मालिक के गुण्डों द्वारा बर्बर दमन चलाकर दबाया जाता रहा है।

देशी-विदेशी पूंजीपतियों के लिए भारत आज एक चारागाह बना हुआ है। जब देश के मजदूर-किसान व अन्य शोषित-उत्पीड़ित लोग अपने हक-अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं तो उन पर बर्बर दमन चलाकर कुचल दिया जाता है। 2008 में ग्रेजियानो तथा 2010 में निप्पॉन के मजदूरों द्वारा किये गये आन्दोलन पर क्रूर पुलिसिया दमन हुआ और उसमें शामिल अनेकों मजदूर आज भी जेलों में बंद है।

9 अगस्त, 2012, प्रदर्शन की अपील

ग्रेजियानों, निप्पॉन हो या मारूति सुजुकी के मजदूरों का आन्दोलन हो, शासक वर्ग का रूख हर जगह दमनात्मक रहा है। इसलिए हमें आज भी ज्यादा संगठित रूप से समाज के विभिन्न शोषित-पीड़ित तबकों और न्याय पसंद जनवादी लोगों को साथ लेकर जोरदार आवाज उठाने की जरूरत है। आइये, हम मजदूरों व अन्य मेहनतकश के शोषण-दमन के खिलाफ मोर्चाबद्ध हों और मारूति के संघर्षरत मजदूरों के समर्थन में आन्दोलन तेज करें।

हम पूरे एनसीआर के मजदूरों के बीच जा रहे हैं कि मारूति व अन्य सभी मजदूरों पर हो रहे दमन का पुरजोर विरोध करें। मजदूर भाइयों आप 9 अगस्त, 2012 को श्रम भवन पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल हों।

हमारी मांगे:

- मारूति प्रबंधन द्वारा पूर्व में श्रमिक अधिकारों के मामलों और 18 जुलाई की घटना में मारूति प्रबंधन की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाये।
- मारूति सुजुकी के गिरफ्तार सभी मजदूरों को रिहा किया जाए और उन पर लगाये गए फर्जी मुकदमे वापस लिये जायें व मजदूरों की गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगाई जाये।
- बाउंसरों तथा बाउंसरों को भेजने और बुलाने वाले प्रबंधन को तुरंत गिरफ्तार किया जाये।
- एस.सी./एस.टी. कानून के अन्तर्गत दोषी सुपरवाइजर पर मुकदमा दर्ज किया जाये।
- घायल मजदूरों को उचित मुआवजा दिया जाये।
- श्रम कानूनों को मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और अन्य सभी फैक्टिरयों में लागू करवाया जाये।
- हरियाणा सरकार के श्रम मंत्री मारूति सुजुकी वर्कर्स यूनियन और प्रबंधन के बीच के विवाद को सुलझाने में पहल करें।
- मानेसर में लागू धारा 144 को तुरंत हटाया जाये।

कार्यक्रम: 9 अगस्त, 2012 को श्रम भवन पर प्रदर्शन समय 11 बजे सुबह

आह्वानकर्ता संगठन:

आल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन (न्यू)
इंकलाबी मजदूर केन्द्र
आईसीटीयू
मेहनतकश मजदूर मोर्चा
वर्कर्स यूनिटी ट्रेड यूनियन
श्रमिम संग्राम कमिटी
मजदूर पत्रिका
श्रमिक दुनिया
जाति उन्मूलन संगठन
क्रान्तिकारी नौजवान सभा
क्रान्तिकारी युवा संगठन
क्रान्तिकारी लोक अधिकार संगठन
प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र
पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स
पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया
रैडिकल नोट्स
स्टूडेन्ट्स फॉर रेजिस्टेन्स
संहति-दिल्ली
नौरोज

(निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को कई घंटों के लिए संसद मार्ग, दिल्ली के थाना परिसर में बन्द रखा)

27 अक्टूबर 2012 की अपील

आज जब यह अपील हम आप को भेज रहे हैं, तो हम मारुती प्रबंधन और हरियाणा सरकार के ताकतवर गिरोह की तरफ से भीषण दमन का सामना कर रहे हैं। पहले तो हमारे संघर्ष को मीडिया के जरिये बदनाम करने की मुहीम चलाई जा रही थी, और अब कोशिश यह हो रही है कि एक तरफ तो हमारे संघर्ष को चुप्पी के जरिये और दूसरी तरफ दमन के जरिये दबा दिया जाय। मारुती प्रबंधन ने न सिर्फ बिना किसी आतंरिक जांच की प्रक्रिया के 546 स्थाई मजदूरों को काम से निकाल दिया, बल्कि निहायत ही अन्यायपूर्ण तरीके से 200 प्रशिक्षुओं और 2000 ठेका मजदूरों में से ज्यादातर को नौकरी से निकाल दिया है। जहां एक तरफ कंपनी जोर शोर से इस बात का ढोल पीट रही है कि यह ठेका मजदूरी की प्रथा समाप्त कर रही है, वेतन बढ़ा रही है, आदि... वहीं सच्चाई इसके ठीक उल्टी है। यह मजदूरों पर अपना दमन और शोषण और ज्यादा बढ़ाती जा रही है, और उनकी न्यायपूर्ण आवाज का गला घोंटने की कोशिश कर रही है।

हमारा संघर्ष मारुती प्रबंधन द्वारा रोजाना किये जा रहे शोषण और अपमान के खिलाफ हमारे असंतोष की अभिव्यक्ति है। हम भारतीय संविधान और श्रम कानूनों में मान्य किये गए अधिकारों के लिए ही लड़ रहे हैं। जबसे हमारा संघर्ष शुरू हुआ, हमने अपने असंतोष को एक सामूहिक और एकताबद्ध आवाज देने की कोशिश की है। हमने स्थाई और ठेका मजदूरों के बीच एकता कायम की और अपने संघर्ष में ठेका मजदूरों की असुरक्षा संबंधी मुद्दों को प्रमुखता दी। और कंपनी ठीक इसी बात के विरुद्ध है क्योंकि वह "फूट डालो और राज करो" में यकीन करती है। हम वही मजदूर हैं जिन्होंने 2006 से अपनी कमरतोड़ मेहनत से कंपनी के मुनाफे को इतना बढ़ा दिया और इसकी एक ऐसी सफलता की कहानी रची जिसे आज भी कंपनी बड़े गर्व से एक तमगे की तरह पहन कर दिखाती है। हम वही मजदूर हैं जिन्होंने अपना पूरा टाइम और ओवर टाइम भी, कंपनी के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होने वाले मोडलों को बनाने में लगाया। क्या ऐसा उत्पादन अपने काम और कंपनी के प्रति हमारी अटूट लगन और वफादारी के बिना संभव था? जिन मजदूरों को सन 2006 से ही "सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी" जैसे खिताबों और "स्वर्ण पदकों" से सम्मानित किया जा रहा था उन पर आज यही कंपनी "पागल अपराधी" होने का इलजाम लगा रही है। क्या कंपनी को इतना बनाने वाले वही मजदूर 'पागल' कहे जा सकते हैं, जैसा कि कंपनी प्रबंधन द्वारा ही रचे गए घटनाक्रम और उन्हीं के द्वारा प्रचारित कहानी में कहा जा रहा है? क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है कि वही मजदूर जो बमुश्किल न्यूनतम मजदूरी में ही काम कर के कंपनी का मुनाफा बढाए जा रहे थे, आज अचानक 'पागल' हो गए (जैसा कि कंपनी की कहानी में हर जगह कहा जा रहा है)?

आज हमारे 149 से भी ज्यादा निर्दोष साथी गुडगाँव की केंद्रीय जेल में पिछले तीन महीने से पड़े हुए हैं और पुलिस द्वारा किये जा रहे अपमानों और यातनाओं के शिकार हैं। हमारे परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को भी पुलिस द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। मारुती सुजुकी वर्कर्स यूनियन के नेतृत्वकारी निकाय के सभी साथी गुडगाँव केंद्रीय जेल में बंद हैं। उनमे राम मेहर (अध्यक्ष), सरबजीत सिंह (महासचिव), संदीप ढिल्लों (मुख्य पैट्रन), अजमेर (कानूनी सलाहकार), अमरजीत, राम बिलास, सुरेश धुल (कैशियर), पवन (सचिव), सोहन (उपाध्यक्ष), प्रदीप, योगेश, धनराज अदि शामिल हैं। बिना किसी निष्पक्ष जांच के ही इन्हें "हत्यारा" कहा जा रहा है जबकि 18 जुलाई की हिंसक घटना में कंपनी प्रबंधन की भूमिका पर चारों ओर बिलकुल चुप्पी छाई हुई है।

कंपनी तो हम पर अत्याचार कर ही रही है, हमारे अपने चुने हुए राजनेता भी अपनी जनता की बात सुनने के बजाय यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि उनमें कौन सा राजनेता कंपनी का कितना बड़ा वफादार है। हरियाणा सरकार पूरी तरह मारुती सुजुकी प्रबंधन के साथ मिली हुई है, उसकी धुनों पर नाच रही है और यह साफ तौर पर दिखा रही है कि वह किसकी प्रतिनिधि है। हरियाणा राज्य के उद्योग मंत्री, आर. एस. सुरजेवाला अपने लहजे और भाषा में बिलकुल साफ थे, (वही जो हम मारुती प्रबंधन से सुनने के आदी हो चुके हैं) कि "मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हे जो करना है वो करो," और यह कि 'मेरा काम कंपनी के लिए जमीन का इंतजाम करना है और इससे अधिक कुछ नहीं।' यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हूडा ने भी इसी सुर में बात की। हम शासक दल से लेकर विपक्षी दलों तक दौड़ते फिरे, पर सबने या तो अपनी 'असहायता' प्रकट की या साफ कह दिया कि उनके हित कंपनी से जुड़े हैं, मजदूरों से नहीं। फैक्ट्री से निकलकर इस हालत में पहुंचे हुए हमें रोज इस बात का एहसास हो रहा है कि ये तथाकथित 'प्रतिनिधि' असल में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इस मेहनतकश जनता के वोटों से ही जीत कर सत्ता की इन ऊंची सीढ़ियों तक पहुँच पाते हैं।

दोस्तों और कामरेडों, आज हमें यह साफ होता जा रहा है कि अपनी मेहनत से, अपने पसीने से और यहाँ तक कि अपने सपनों और अपनी उम्मीदों की कीमत चुकाकर भी जो मुनाफा हम पूंजीपतियों के लिए कमाते हैं, वही पूंजी ये लोग राजनैतिक नेताओं और राजनैतिक व्यवस्था को खरीदने में और हमारा दमन करने में इस्तेमाल करते हैं। फिर भी संघर्ष में हमारी एकजुटता से हमारा आन्दोलन और ज्यादा मजबूत हो रहा है और लगातार बढ़ रहा है।

हम सभी मजदूरों, ट्रेड यूनियनों, लोकतान्त्रिक संगठनों और संवेदनशील नागरिकों से यह अपील करते हैं कि वे हमारे संघर्ष में हमारे साथ एकजुटता के साथ खड़े हों. हम मांग करते हैं कि:

1. सभी गिरफ्तार मजदूरों को तुरंत रिहा किया जाय। मजदूरों,

उनके परिवार के सदस्यों और उनके रिश्तेदारों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करना बंद हो।

2. सभी 546 स्थाई मजदूरों को तुरंत काम पर वापस लिया जाय, और अस्थाई मजदूरों को भी स्थाई मजदूर के रूप में प्राथमिकता के साथ वापस काम पर रखा जाय।
3. 18 जुलाई की हिंसक घटना की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच कराई जाय और इसमें प्रबंधन की भूमिका की जांच हो।
4. सारे मुद्दों को त्रिपक्षीय वार्ता के जरिये सुलझाया जाय।

हम अपने सारे दोस्तों और कामरेडों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप जहां भी और जो भी गतिविधि हमारे समर्थन में करते हैं कृपया उसकी जानकारी और चित्र हमें भेजें ताकि हम भी संघर्ष के साझेपन से प्रेरित हो सकें. हम सबसे अपील करते हैं कि हमारे साथ एकजुट हों और अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष को मजबूत करें।

मजदूर एकता जिंदाबाद!
इन्कलाब जिंदाबाद!!

मा.सु.व.यू. की तदर्थ कार्यकारी
समिति द्वारा जारी

9 नवम्बर 2012, यूनियन की भूख हड़ताल समाप्त

मा.सु.व.यू. ने गुडगाँव में 8 नवम्बर की शाम को अपनी दो दिवसीय भूख हड़ताल और धरना खत्म किया। इसके अंत में लगभग तीन हजार संघर्षरत मजदूरों ने एक रैली निकाली। ईस्टर्न मेडीकिट और अन्य कारखानों के एक हजार मजदूर भी शामिल हुए। डी.सी. ऑफिस के सामने हमने चार बजे अपना अनशन खत्म किया। इसी समय जेल में भी हमारे साथियों ने अपना अनशन तोड़ा। उसके बाद हम एक रैली के रूप में, मिनी सचिवालय से लेकर युवा और खेल मामलों के मंत्री सुखबीर कटारिया के घर तक गये। वे बाहर आकर हमसे मिले, हमारी मांगें सुनीं और हमें इस बात का भरोसा दिया कि वे दिवाली के बाद मुख्यमंत्री से मिलकर हमारी मांगें रखेंगे।

यह दिवाली हमारे लिए काली दिवाली होगी, बेरोजगार और जेल में बंद मजदूरों की दिवाली। जबकि मारुती सुजुकी सरकार द्वारा दिए गए सहूलियतों में आनंद मना रही है।

हमारी भूख हड़ताल कम्पनी से निष्कासित मजदूरों की एक संयुक्त कार्रवाई थी। इसमें कम्पनी के 546 स्थाई मजदूर और 2000 से भी ज्यादा ठेका और प्रशिक्षु मजदूरों में से ज्यादातर शामिल थे। ये मजदूर डी.सी. ऑफिस के सामने अनशन पर बैठे और पुलिस दमन का सामना किया। सात नवंबर की सुबह हमारे चालीस से अधिक मजदूर साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हांलाकि सात नवंबर की रात तक पुलिस को मजबूरन इन साथियों को छोड़ना पड़ा जिनमें हमारी तदर्थ समिति के ओ पी जाट और राम निवास भी थे। इनके साथ दिन भर अपराधियों सा सलूक किया गया और पुलिस ने उन्हें डराने के लिए अपनी यातना देने की सारी तकनीकें दिखाई। जेल में बंद हमारे 149 साथियों को यातना देने और अलग अलग जेलों में भेज देने की धमकी देती रही पर जेल में बंद सभी मजदूर साथी अनशन पर डटे रहे।

मानेसर कारखाने से भी खबर आई कि वहाँ के मजदूर साथी लंच का बायकाट करना चाहते हैं पर कंपनी ने भारी पुलिस बल और अपनी गुंडा वाहिनी से उन्हें धमका कर खाना खिलाया। इस तरह यह भूख हड़ताल, जेल में बंद मजदूरों, निष्कासित-बेरोजगार मजदूरों और कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के बीच की एक एकताबद्ध संयुक्त कारवाई बन गयी। हमें विभाजित करने के कंपनी के सभी प्रयासों के बावजूद हम अपनी एकता प्रकट करने के तरीके ढूँढते रहेंगे और अपनी जायज मांगें उठाते रहेंगे। गुडगाँव के मारुती सुजुकी प्लांट के मजदूरों और यूनियन के प्रति हम आभारी हैं जिनके नेता कुलदीप झंगु हमारे साथ अनशन और रैली में साथ रहे।

गुडगाँव- मानेसर-धारूहेड़ा औद्योगिक पट्टी के विभिन्न कारखानों के मजदूर एकता प्रकट करने धरने में पहुंचे। स्थानीय और केंद्रीय ट्रेड यूनियनें भी समर्थन में आईं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र संगठन, युवा संगठन और महिला संगठन समर्थन में पहुंचे। जेल में बंद और निष्कासित मजदूरों के रिश्तेदार और परिवार के लोग भी शामिल हुए। सोलह सदस्यीय ट्रेड यूनियन समिति में शामिल सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि आये। दूसरे राज्यों से भी मजदूर नेताओं ने आकर हमारा साथ दिया।
हम अपनी सभी मांगें दुबारा दोहराते हैं।

इन्कलाब जिंदाबाद।

12 नवंबर, काली दीवाली

इस बार हम काली दीवाली मना रहे हैं। आज हमने कैथल में सुबह ही नए बस स्टैंड से उद्योग मंत्री रणजीत सुरजेवाला के निवास तक मार्च निकाला। हमारे साथी अन्य मजदूर, रिश्तेदार और मित्र शामिल हुए। हमने मंत्री से बात की जिसने हमें भरोसा दिया कि वह श्रम मंत्री श्री चरण लाल और मुख्य मंत्री से दीवाली के बाद बात करेंगे।

जेल में बंद और काम से बेदखल मजदूर काली दीवाली ही मना सकते हैं। रौशन दीवाली तो मारुती सुजुकी कंपनी के लिए है जिसे पूरी सरकार का संरक्षण मिल रहा है।

9 दिसंबर, ऑटो मोबाइल सेक्टर के मजदूरों का सम्मलेन

मा.सु.व.यू. के आह्वान पर नौ दिसंबर को दिल्ली के आंबेडकर भवन में यह सम्मलेन हुआ। यूनियन ने कहा कि ऑटो मोबाइल क्षेत्र के मजदूर घोर अन्याय के शिकार हैं। चौतरफा गैरकानूनी ठेका प्रथा का बोलबाला है। जबकि ऑटो क्षेत्र के उद्योगों में स्थाई कामों में ठेकेदारी वर्जित है। दूसरी तरफ ठेकेदारों की मनमानी के साथ सिरपर छंटनी की तलवार लगातार लटकती रहती है। गुजारे लायक वेतन भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि यूनियन बनाने के कानूनी अधिकार की भी खुलेआम अवहेलना आम बात बन चुकी है। आज सारे कानून मालिकों की जेब में हैं। और हम मजदूर उनके मुनाफे के लिए बेजान टूल बन कर रह गए हैं। जबकि सरकार और उसके सभी तंत्र खुलकर मालिकों की दलाली में लगे हैं।

आप जानते ही हैं कि मारुती-सुजुकी के हम मजदूर आज जिस त्रासदी को झेल रहे हैं, उसका मूल कारण यही है कि हमने यूनियन बनाने का प्रयास किया और ठेका मजदूरों को स्थाई बनाने की मांग को अपने मांगपत्र में प्राथमिकता दी। मारुती प्रबंधन ने हमारी इसी दृढ़ता का गला घोंटने के लिए 18 जुलाई का षडयंत्र रचा। और मालिकों के इशारे पर पुलिस ने मजदूरों के बर्बर दमन का एक और काला अध्याय रच डाला।

लेकिन हमने विकट परिस्थितियों में भी घुटने टेकने की जगह संघर्ष को ही आगे बढ़ाया। हमने तय किया है कि मालिकों, प्रशासन और सरकार की इन गैरकानूनी कार्रवाईयों का विरोध और तेज करेंगे। जाहिर है कि यह अकेले एक कारखाने का संघर्ष नहीं है। यह इस इलाके के ऑटो मोबाइल कारखानों के सभी मजदूरों के एकजुट संघर्ष की मांग करता है।

इसी उद्देश्य से हम गुडगाँव-मानेसर-धारूहेड़ा-बावल-फरीदाबाद-नौएडा-गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र के ऑटो मोबाइल मजदूरों का सम्मलेन आयोजित कर रहे हैं, ताकि इस अन्याय के खिलाफ एक साझे संघर्ष का एलान किया जाए। हमारी मांग है कि:

1. गुडगाँव-मानेसर-धारूहेड़ा-बावल-फरीदाबाद-नौएडा-गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र के ऑटो उद्योग के स्थाई उत्पादन में गैर कानूनी ठेका प्रथा वर्ष 2013 में पूर्णत: समाप्त हो तथा समस्त ठेका मजदूरों को स्थाई रोजगार मिले। जब तक स्थाईकरण नहीं होता, तब तक इलाके के ऑटो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपये हो।
2. सभी ऑटो मोबाइल उद्योग में स्थाई मजदूरों का न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये अनिवार्य हो।
3. इलाके के समस्त ऑटो मोबाइल कंपनियों में यूनियन गठित हो। यूनियन पंजीकरण के आवेदन के 45 दिनों के अंदर श्रम विभाग द्वारा पंजीकरण अनिवार्य हो।
4. ईस्टर्न मेडीकिट मामले में हाईकोर्ट के फैसले को तत्काल लागू करके तालाबंदी खत्म करो। सभी मजदूरों को काम पर वापस लेकर बकाया वेतन का भुगतान हो।
5. मारुती-सुजुकी मानेसर प्लांट में बर्खास्त 546 स्थाई श्रमिकों सहित समस्त ठेका मजदूरों की तत्काल कार्यबहाली हो।
6. गिरफ्तार समस्त मजदूरों को तुरंत रिहा किया जाय, फर्जी मुकदमे वापस हों और मजदूरों का दमन बंद हो।

दिन में 11 से 3 बजे तक चले सम्मलेन के बाद 1000 मजदूरों ने अपना जुलुस निकाला जो पांच किलोमीटर तक चल कर जंतर मंतर पर पहुँचा। फिर प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया। हरियाणा और दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने सम्मलेन को कैंसिल कराने की पूरी कोशिश की। पर सम्मलेन होकर रहा। यहाँ भी 'परमिशन नहीं है' टाइप के जुमले दागे जाते रहे।

इस सम्मलेन से यह सन्देश भी गया कि मारुती का आन्दोलन पूरे औद्योगिक क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मजदूर आंदोलन को एकजुट करने की तरफ बढ़ रहा है।

पिछले कार्यक्रमों की तरह इस सम्मलेन में भी तमाम ट्रेड यूनियनों, छात्र युवा महिला संगठनों, और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही।

12 दिसंबर, आर्थिक सहयोग की अपील

यूनियन ने अपने संघर्ष के लिए सभी समर्थकों से आर्थिक सहयोग की अपील जारी की। आर्थिक सहयोग करने वाले समर्थक इस अकाउंट में राशि जमा करा सकते हैं:

अकाउंट नंबर: 912010057524329

एक्सिस बैंक, शाखा: SCO - 29, सेक्टर 14, हुडा ऑफिस के नजदीक,

पुरानी दिल्ली-गुडगाँव रोड, हरियाणा, भारत

IFSC Code : UTIB0000056; Branch Code : 000056

MICR Code : 110211008

खाते के संयुक्त धारक: ईमान खान, राम निवास, ओम प्रकाश जाट

सहयोग कर्ता इस ईमेल पर जमा की सूचना भेजें:

marutiworkerstruggle@gmail.com

ताकि उन्हें पावती की सूचना वापस भेजी जा सके।

19 दिसंबर, जंतर मंतर, दिल्ली पर प्रदर्शन

19 दिसंबर को यूनियन ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली में जंतर मंतर पर दिन भर का प्रदर्शन आयोजित किया। विभिन्न धाराओं की बहुत सी अन्य ट्रेड यूनियनें भी इस

प्रदर्शन में शामिल हुई। प्रदर्शन में सबने अपना संकल्प दोहराया कि हम सरकार और मजदूर विरोधी कंपनियों के खिलाफ स्वयं को और अन्य मजदूरों को संगठित करने की अपनी पहलकदमी को आने वाले दिनों में और ठोस शकल देंगे और अपनी मांगें पूरी होने तक संघर्ष करते रहेंगे। 19 दिसंबर हमारे प्यारे शहीदों अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का शहादत दिवस भी है, जिन्होंने आजादी की खातिर उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष में सन 1927 में अपनी जिंदगियां कुर्बान कीं।

21 जनवरी से 27 जनवरी 2013 तक साईकिल यात्रा

अपनी मांगों पर ध्यान खींचने के लिए यूनियन ने 21 जनवरी से 27 जनवरी 2013 तक एक साइकिल यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में चार अलग अलग रास्तों पर अलग अलग जत्थों ने यात्रा की। ये रास्ते थे-

1. सिरसा-कैथल-जींद-रोहतक
2. अम्बाला- यमुना नगर - कुरुक्षेत्र - सोनीपत - रोहतक
3. फरीदाबाद - गुडगाँव - रेवाड़ी - झज्जर - रोहतक
4. नारनोल - महेंद्रगढ़ - भिवानी - हिसार - रोहतक

चारों जत्थे 27 जनवरी को रोहतक पहुंचे, जहां सेक्टर 6 में 'न्याय अधिकार रैली' का आयोजन किया गया।

इस बीच, 24 जनवरी को मारुती सुजुकी वर्कर्स यूनियन की प्रोविजनल वर्किंग कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता साथी ईमान खान को, जो पुलिस द्वारा 18 जुलाई के घटना के बाद मारुती सुजुकी वर्कर्स यूनियन की बॉडी को गिरफ्तार करने के बाद से आन्दोलन में सक्रिय थे, भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब 24 जनवरी को सिविल लाइन्स, गुड़गांव में वे एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। पुलिस और खुफिया अधिकारी प्रेस वालों के रूप में धोखे से आये और जबरदस्ती उनका अपहरण कर लिया। उन्हें अब जेल में डाल दिया गया है, हालांकि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं था, फिर भी पुलिस ने उनकें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जबरन कोरे पन्नों पर जेल में बंद कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर ले रही है और अपनी पसंद के अनुसार सक्रिय श्रमिकों के नाम जोड़ रही है। साथी ईमान के खिलाफ सभी मामले, 302, 307, 120 (ख) अन्य कर्मचारियों की तरह ही लगाये गए हैं। पुलिस सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों पर दमन कर रही है। पुलिस का दमन मजदूरों पर एक बार फिर तेज हो गया हैं।

5 फरवरी को देश भर में प्रदर्शन का आह्वान

यूनियन ने इस बीच पुलिस प्रशासन के उग्र रवैये को देखते हुए यह आह्वान किया है कि देश भर में सभी समर्थक अपने अपने स्थान पर मारुती मजदूरों के आंदोलन के समर्थन में आगामी 5 फरवरी को प्रदर्शन करें, और आंदोलन को मजबूती प्रदान करें।

एक बात तो तय ही है कि मारुती-सुजुकी प्रबंधन और हरियाणा सरकार ने सोचा होगा कि अट्ठारह जुलाई की अपनी खुद की बनाई घटना के बहाने मजदूरों पर जुल्म करके उनका साहस तोड़ देगी। पर ऐसा हो न सका। मारुती के मजदूरों ने जिस तरह अपने संघर्ष को नया फैलाव और नयी दिशा दी है उससे देश के तमाम मजदूर उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। यह भी तय है कि मजदूर आगे आने वाले लंबे संघर्ष में पीछे हटने वाले नहीं हैं।

"यूँ ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क।
न उनकी रस्म नयी है, न अपनी रीत नयी,
यूँ ही हमेशा खिलाये हैं हमने आग में फूल,
न उनकी हार नयी है, न अपनी जीत नयी।"

–"फैज"

सवा दो सौ से भी अधिक क्रान्तिकारी और जनवादी गीतों का अनोखा संग्रह

हर सामाजिक कार्यकर्ता और जनवादी संस्कृतिकर्मी के लिए जरुरी किताब

उठाओ आवाज

उम्मीद, इंसाफ और देश भक्ति के गाने

प्रतियों के लिए सम्पर्क करें-

फिलहाल ट्रस्ट

नेहरु नन्दा भवन, दरोगाराय पथ, पटना-800001
फोनः 01612-2506577
ईमेल- filhaalpatna@gmail.com

श्रमिक दुनिया

फ्लैट नंबर बी-1, ओम प्लाजा, प्लाट-97, राजेंद्र नगर सेक्टर-5,
साहिबाबाद, जिला- गाजियाबाद (उ.प्र.), पिन-201005 मो. 09871484549
ई-मेलः duniyashramik@gmail.com

स्वर्ग से विदाई

भाइयों और बहनों !
अब यह आलीशान इमारत
बन कर तैयार हो गयी है
अब आप यहाँ से जा सकते हैं
अपनी भरपूर ताकत लगाकर
आपने जमीन काटी
गहरी नींव डाली
मिट्टी के नीचे दब भी गये
आपके कई साथी
मगर आपने हिम्मत से काम लिया
पत्थर और इरादे से
संकल्प और लोहे से
बालू, कल्पना और सीमेंट से
ईंट दर ईंट आपने
अटूट बुलंदी की दीवारें खड़ी कीं
छत ऐसी कि हाथ बढ़ाकर
आसमान छुआ जा सके
बादलों से बात की जा सके
खिड़कियाँ
क्षितिज की थाह लेने वाली
आँखों जैसी
दरवाजे-शानदार स्वागत !
बरौनियों के बल पर
सैकड़ों साल टिकी रहने वाली
यह जीती जागती इमारत तैयार की
अब आपने हरा भरा लान
फूलों का बगीचा
झरना और ताल भी बना दिया है
कमरे कमरे में गलीचा
और कदम कदम पर
रंग बिरंगी रोशनी फैला दी है
गरमी में ठंढक और ठंढ में
गुनगुनी गरमी का इंतजाम कर दिया है
संगीत और नृत्य के
साज सामान
सही जगह पर रख दिए हैं
अलंगनियाँ प्यालियाँ
गिलास और बोतलें
सजा दिए हैं
कम शब्दों में कहें तो
सुख सुविधा और आजादी का
एक सुरक्षित इलाका
एक झिलमिलाता स्वर्ग
रच दिया है
इस मेहनत
और इस लगन के लिए
आपको बहुत धन्यवाद
अब आप यहाँ से जा सकते हैं
यह मत पूछिए कि कहाँ जाएँ
जहाँ चाहे वहाँ जाएँ
फिलहाल, उधर अंधेरे में
कटी जमीन पर
जो झोंपड़े डाल रखे हैं
उन्हें भी खाली कर दें
फिर जहाँ चाहे वहाँ जाएँ
आप आजाद हैं
हमारी जिम्मेवारी खत्म हुई
अब एक मिनट के लिए भी
आपका यहाँ ठहरना ठीक नहीं
महामहिम आने वाले हैं
विदेशी मेहमानों के साथ
आने वाली हैं अप्सराएँ
और अफसरान
पश्चिमी धुनों पर शुरू होने वाला है
उन्मादक नृत्य
जाम छलकने वाला है
भला यहाँ आपकी
क्या जरूरत हो सकती है
और वे आपको देखकर क्या सोचेंगे
गंदे कपड़े
धूल में सने शरीर
ठीक से बोलने, हाथ हिलाने
और सिर झुकाने का भी शऊर नहीं
उनकी रूचि और उम्मीद को

कितना धक्का लगेगा
और हमारी कितनी तौहीन होगी
मान लिया कि इमारत की
यह शानदार बुलंदी हासिल करने में
आपने हड्डियाँ गला दीं
खून पसीना एक कर दिया
लेकिन इसके एवज में
मजूरी दी जा चुकी है
मुँह मीठा करा दिया गया है
धन्यवाद भी दे चुके हैं
अब आपको क्या चाहिए?
आप यहाँ से टल नहीं रहे हैं
आपके चेहरे के भाव भी बदल रहे हैं
शायद अपनी इस विशाल
और खूबसूरत रचना से
आपको मोह हो गया है
इसे छोड़ कर जाने में दुख हो रहा है
ऐसा हो सकता है
मगर इसका मतलब यह तो नहीं
कि आप जो कुछ भी अपने हाथों से
बनाएँगे
वह सब आपका हो जाएगा
इस तरह तो यह सारी दुनिया
आपकी होती
फिर हम मालिक लोग कहाँ जाते
याद रखिए
मालिक मालिक होता है
मजदूर मजदूर
आपको काम करना है
हमें उसका फल भोगना है
आपको स्वर्ग बनाना है
हमें उसमें विहार करना है
अगर ऐसा सोचते हैं
कि आपको अपने काम का
पूरा फल मिलना चाहिए
तो हो सकता है
कि पिछले जन्मों के आपके काम
अभावों के नर्क में
ले जा रहे हों
विश्वास कीजिए
धर्म के सिवा कोई रास्ता नहीं
अब आप यहाँ से जा सकते हैं

क्या आप यहाँ से जाना ही
नहीं चाहते?
यहीं रहना चाहते हैं
इस आलीशान इमारत में
इन गलीचों पर पाँव रखना चाहते हैं
ओह! यह तो लालच की हद है
सरासर अन्याय है
कानून और व्यवस्था पर
सीधा हमला है
दूसरों की मिल्कियत पर
कब्जा करने
और दुनिया को उलट पलट देने का
सबसे बुनियादी अपराध है
हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे
देखिए, यह भाईचारे का मसला नहीं है
इंसानियत का भी नहीं
यह तो लड़ाई का
जीने या मरने का मसला है
हालाँकि हम खून खराबा नहीं चाहते
हम अमन चौन
सुख सुविधा पसंद करते हैं
लेकिन आप मजबूर करेंगे
तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा
पुलिस और जरूरत पड़ी तो
फौज बुलानी होगी
हम कुचल देंगे
अपने हाथों गढ़े
इस स्वर्ग में रहने की
आपकी इच्छा भी कुचल देंगे
वरना जाइए
टूटते जोड़ों उजाड़ आँखों की
आँधियों अंधेरों और सिसकियों की
बेदरोदीवार दुनिया में
चुपचाप
वापस चले जाइए...

– गोरख पांडे

बिहार में अखिल भारतीय मनरेगा मजदूर यूनियन की स्थापना

■ अशोक कुमार सिन्हा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदल कर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया। संक्षेप में आज कल सब लोग इसे मनरेगा योजना कहते हैं। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, हर वित्तीय वर्ष में सम्मिलित रूप से सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गयी है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य कार्य की मांग किये जाने के 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराना है। मौसमी व्यावहारिकता के आधार पर वर्षा के माहों में वृक्षारोपण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है।

बिहार में अखिल भारतीय मनरेगा मजदूर यूनियन की स्थापना का उद्देश्य यह है कि मनरेगा से सम्बंधित हक सही मायने में देहाती मजदूरों को प्राप्त हो सकें। यूनियन आज कल बिहार के ग्यारह जिलों (जहानाबाद, नालंदा, भोजपुर, सिवान, छपरा, पश्चिमी चम्पारण, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, कटिहार, गया) के 195 गाँवों में ग्राम स्तरीय इकाइयों की स्थापना कर चुकी है, यूनियन ग्राम स्तरीय मजदूर नेताओं की क्षमता वृद्धि के लिए गतिविधियां संचालित कर रही है। सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों (दलितों और मुसलमानों) को खास तौर पर और आम तौर पर सभी मजदूरों को संगठित करने का प्रयास जोरों पर है। अ.भा.म.म.यू. की कोशिश है कि मजदूर संगठित होकर अपने काम और आजीविका के अधिकार के लिए पहल करें। यूनियन के नेतृत्व में मनरेगा कानून के बेहतर और पारदर्शी क्रियान्वयन की कोशिश हो रही है। यूनियन के माध्यम से मनरेगा से जुड़े सरकारी अधिकारियों और मनरेगा कर्मियों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ताकि वे दलितों, अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशील होकर सम्मान पूर्वक बिना किसी भेदभाव के कार्यक्रम के लाभ पहुंचा सकें।

आज की तारीख में 195 गाँवों में 10,000 से ज्यादा जॉब कार्ड धारक मजदूर इसके सदस्य हैं. पिछले साल यूनियन के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय रोजगार अधिकार यात्रा निकाली गयी थी। यात्रा का उद्देश्य था- मनरेगा मजदूरों के बीच मनरेगा से जुड़े तमाम अधिकारों की जानकारी बढ़ाना और विभिन्न जिलों के मनरेगा मजदूरों के बीच एकता और जुड़ाव बढ़ाना। रोजगार अधिकार यात्रा के माध्यम से स्थानीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर यूनियन की एक पहचान बनी है।

यूनियन की तरफ से समय समय पर व्यापक पैमाने पर अभियान चला कर काम के लिए आवेदन जमा करवाया जा रहा है। इसके लिए मजदूरों के बीच में मनरेगा संबंधी अधिकारों पर जागरूकता के अलावा आवेदन पत्रों की फोटो प्रतियाँ उपलब्ध कराना और फॉर्म भरवाना शामिल है। यूनियन के प्रभाव से लगभग 40% मामलों में मजदूर आवेदन की प्राप्ति रसीद प्राप्त करने में सफल रहे हैं। मनरेगा का क्रियान्वयन तो समस्याओं और घपलों से भरा है। या तो लोगों के जाब कार्ड नहीं बने, कार्ड बने तो मजदूरों के कब्जे में न होकर प्रधान/मुखिया या अन्य किसी के कब्जे में हैं। मजदूर आवेदन नहीं देते, क्योंकि वे बहुत निराश और गैर-जानकारी के शिकार हैं। अगर वे आवेदन देते हैं, तो उसकी रसीद नहीं मिलती, काम भी मुश्किल से मिलता है, सौ दिन का काम तो कहीं कहीं ही मिला है। काम के हालात में भी कानून द्वारा बताए गए प्रावधानों और सुविधाओं का कहीं अता पता नहीं रहता। महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ दबंगों द्वारा भेदभाव और डराना धमकाना आम बात है।

वर्तमान में मनरेगा का सफल क्रियान्वयन एक चुनौती है। मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के लिय एक समर्पित प्रशासनिक व्यवस्था की गयी है, जिसके तहत विभिन्न स्तरों के कर्मी अनुबंध पर नियोजित हैं। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि कार्यक्रम और इसके क्रियान्वयन से सीधे जुड़े सभी कर्मियों का नियमित मूल्यांकन किया जाए। ऐसे मूल्यांकनों में यूनियन जैसी मजदूर संगठनों को शामिल किया जाए।

बिहार की तर्ज पर यूनियन ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी जिलों में काम शुरू कर दिया है। गत सितंबर माह में यूनियन ने पटना में अपना स्थापना सम्मलेन किया।

हाल के दिनों में यूनियन ने पश्चिमी चम्पारण जिले के बैरिया ब्लाक में पहलकदमी ली। मियापुर, तिसल्गाही अदि गावों के 800 से ज्यादा मजदूर संगठित हुए और अपने भुगतान समंधी मसलों को लेकर ब्लाक ऑफिस पर प्रदर्शन किया। वे नारे लगा रहे थे कि 'जॉब कार्ड दिया है तो काम दो, काम दिया है तो भुगतान करो'। ब्लाक अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जिला अधिकारी के सहयोग से शीघ्र उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जायेगा। गत 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा बैठकों के बारे में यूनियन ने जागरूकता फैलाई और हर गांव की अपनी इकाइयों को सुझाव दिया कि वे जोर देकर अपने गावों में ग्राम सभा की बैठकें करवाएं, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और ग्राम सभा में अपनी जरूरतों के मुताबिक मनरेगा कार्य योजनाएं पारित करवाएं। इस सम्बन्ध में बिहार

सरकार के सर्कुलर की प्रति भी हर इकाई में बाँट दी गयी। इस तरह से वंचित समुदायों से आने वाले मजदूरों ने ग्राम सभा की बैठकों में अन्य गरीबों के साथ मिलकर अपनी आवाज बुलंद की। नालंदा जिले के सिलाव ब्लाक के बराकर और घोस्तामा जैसे गावों में, गया जिले के टनकुप्पा ब्लाक के अरोपुर और उत्तरी बरा जैसे ग्राम पंचायतों में, कटिहार जिले के कोरहा ब्लाक के रामपुर और बिसनपुर जैसी पंचायतों में मनरेगा मजदूर अपनी मांगे दर्ज कराने में सफल रहे। इसके विपरीत बहुत सारी जगहों पर ग्राम सभा की बैठकें नहीं हुईं। जैसे मधुबनी जिले के बिस्फी ब्लाक की जाफरा और सुमरी ग्राम पंचायतें, पश्चिमी चम्पारण जिले के बैरिया ब्लाक की तद्वामन पुर और उत्तरी पतिुरुवा ग्राम पंचायतें। ऐसे स्थानों पर यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर और राज्य सरकार के टोल फ्री नंबरों और फैक्स नंबरों पर तत्काल सूचना दी। नतीजतन, सरकार ने इन स्थानों पर दुबारा बैठकें आयोजित करने का आदेश दिया। जो बाद में मजदूरों की भागीदारी के साथ संपन्न हुई। इसी तरह यूनियन ने पिछले दो महीनों में पांच जिलों में मनरेगा कानून के क्रियान्वयन को लेकर सामाजिक अंकेक्षण/आडिट संगठित करवाने में भूमिका निभाई जिससे स्थानीय प्रशासन के दावों और जमीनी हकीकतों का फर्क उजागर हुआ।

इस तरह बिहार में अखिल भारतीय मनरेगा मजदूर यूनियन एक बड़ी मजदूर पक्षीय ताकत बनती जा रही है, जो मनरेगा कानून को उसके सही अर्थों में लागू करवाने के लिए कटिबद्ध है।

अ.भा.म.म.यू. यह समझती है कि मनरेगा मजदूरों का संघर्ष राष्ट्र व्यापी है। इस कानून को पूरे देश में सही ढंग से लागू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जिलों और राज्यों में मजदूरों को अपना संगठन बना कर तालमेल बनाना होगा। कोई भी कानून तभी लागू हो सकता है जब उसे लागू करवाने के लिए मजदूर स्थानीय धरातल पर लामबंद हों, उसकी निगरानी करें और उसे लागू करवाने के लिए दबाव बनवाएं। अन्यथा देश की पूरी व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वह स्वयं अपने ही बनाये कानूनों का सम्मान नहीं करती। अ.भा.म.म.यू. अन्य क्षेत्रों और पेशों में काम करने वाले मजदूरों के संगठनों के साथ भी तालमेल बढ़ाने के लिए नेशनल एल्लायिंस फॉर लेबर राईटस (एन. ए. एल. आर.) और नैक्डोर जैसे मंचों के साथ सहयोग रखती है।

जाम करा मिलके

खाने को ना रोटी देंगे किशन कन्हैया
जाम करो मिलके ये शोषण का पहिया
मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया - 2
मालिकों से.....

तेरी ही कमाई पे खड़े ये कारखाने - 2
तुझको ही मिलते ना पेट-भर दाने - 2
गिद्धों के जैसा तुझसे मालिक का रवैया - 2
मालिकों से.....

हमसे ना कम होगी मालिकों की दूरी - 2
खून चूस चूस के जो देता है मजूरी - 2
अपनी नैया के हम ही खिवैया -2
मालिकों से.....

अपने दिलों में सदा उनके ही गीत - 2
चाहते बदलना जो दुनिया की रीत - 2
सीने में हमारे जिंदा किश्ता-भूमैया - 2
मालिकों से.....

-ब्रजमोहन

जारी है हड़ताल

जब तक मालिक की नस-नस को हिला न दे भूचाल
जारी है हड़ताल हमारी जारी है हड़ताल
ना टूटे हड़ताल हमारी ना टूटे हड़ताल

जारी है.....

हम इतने सारों को मिल ये गिद्ध अकेला खाता
और हमारे हिस्से को भी अपने घर ले जाता
और जो मांगें हम अपना हक गुण्डों को बुलवाता
हम सबका शोषण करने को चले ये सौ-सौ चाल

जारी है.....

सावधान ऐसे लोगों से जो बिचौलिया होते
और हमारे बीच सदा जो बीज फूट का बोते
और कि जिनके दम पर सारे मालिक चैन से सोते
देखेंगे उनको भी जो हैं सरकारी दल्लाल

जारी है.....

सही-सही मांगों को लेकर जब हम सामने आते
इसके अपने सगे सिपाही बन्दूकें ले आते
जाने अपने कितने साथी यूं ही मारे जाते
लेकिन सुन लो अब हम सारे जलकर बने मशाल
जारी है हड़ताल हमारी जारी है हड़ताल.....

-ब्रजमोहन

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में
ईंट भट्ठा मजदूरों का आंदोलन सफल
एक यूनियन कार्यकर्ता के डायरी के पन्नों से

■ सुधीर कटियार

15 दिसंबर, 2012

मांडल डायरी की शुरुआत करते समय हम भीलवाड़ा जिले के मांडल-आसींद ईंट भट्ठा संकुल में एक बड़ी औद्योगिक कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इस संकुल में 89 ईंट भट्ठे हैं। इनमें करीब 15 हजार मजदूर काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर मौसमी प्रवासी हैं। इनमें एक बड़ी संख्या अन्य राज्यों से आये हुए मजदूरों की है। राजस्थान के अलावा पांच अन्य राज्यों के मजदूर यहाँ काम करते हैं– उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड और मध्य प्रदेश। अन्य राज्यों के मजदूरों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश (बांदा और चित्रकूट जिला) और बिहार (बांका और भागलपुर जिला) से हैं। राजस्थान के मजदूरों में बड़ी तादाद अजमेर जिले के मसौदा तहसील से है।

प्राथमिक रूप से यूनियन का निर्माण जुलाई अगस्त के महीनों के खाली दिनों में अजमेर के मसौदी इलाके में - भराई और निकासी मजदूरों के बीच किया गया। इसमें से ज्यादातर मजदूर रावत जाति से हैं, जो पहले आदिवासी समुदाय में थे और अब पिछड़े वर्ग में गिने जाते हैं। यूनियन निर्माण में समुदाय से अच्छा सहयोग मिला। मजदूर ठेकेदारों ने भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हमें पिछले अनुभवों से इस बात का एहसास हुआ था कि छोटे और मझोले मजदूर ठेकेदारों को विश्वास में लेना एक अच्छी कार्यनीति है। भट्ठे के काम का मौसम शुरू होने से पहले एक मांग पत्र तैयार किया गया। इसमें हर श्रेणी के मजदूरों के वेतन में बढोत्तरी और मजदूरों की काम और आवास की दशाओं में सुधार संबंधी मांगे थीं। प्रयास श्रम अनुसन्धान केंद्र की हमारी एक टीम ने बिहार और झारखंड से आने वाले मजदूरों के उद्गम स्थलों का भी दौरा किया।

हमारी टीम इस इलाके में मौसम की शुरुआत से अक्टूबर से ही सक्रिय थी। 15 दिसंबर को यूनियन कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में मजदूरों की भागीदारी काफी अच्छी थी। यूनियन कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा लगभग पचास भट्ठों के मजदूर उपस्थित थे। कार्यकारिणी ने निम्न फैसले लिए:

- भट्ठा मालिकों के संघ से शुरुआत करते हुए सभी भट्ठा मालिकों को 16 दिसंबर से मांग पत्र देना शुरू किया जाए और उन्हें 21 दिसंबर तक का समय मांगों पर प्रतिक्रिया देने के लिए दिया जाए।
- 21 दिसंबर को काम रोक दिया जाए और सभी मजदूर 'झरनिया महादेव' चौराहे पर आम सभा में इकट्ठे हों।
- आगे के कदम आम सभा में ही तय किये जाएँ।

यह उम्मीद की गयी कि अगर तब तक मांगों पर कोई समझौता नहीं हुआ तो मजदूर अपने अपने गांव वापस चले जायेंगे।

यह एक ऐतिहासिक क्षण है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब इस इलाके के मजदूर एक साथ आये हैं और यूनियन के तहत संगठित हुए हैं। बहुत से मजदूर 'बंधुआ' होने की स्थिति में भी हैं।

21 दिसंबर, मजदूरों ने मिलकर अपनी ताकत का जबरदस्त इजहार किया

आज हमारे इम्तहान का दिन था। 15 से 21 दिसंबर के बीच यूनियन की टीम ने मजदूरों के बीच व्यापक स्तर पर प्रचार और गोलबंदी का काम किया। यह हर भट्ठे पर गयी और मालिकों को मांग पत्र दिया। इसने मजदूरों से संपर्क किया और 21 दिसंबर की सभा के बारे में पर्चा बांटा। भट्ठा मालिक संघ को भी मांगपत्र सौंपा गया। ज्यादातर मालिकों ने तो मांगपत्र ले लिया पर (6-7) मालिकों के एक ग्रुप के साथ गर्मागर्मी भी हुई। एक अन्य टीम सरकारी अधिकारियों से मिली। श्रम-विभाग को मांग पत्र सौंपा गया और उससे त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करने का आग्रह किया गया। पुलिस और प्रशासन को भी मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराया गया और सभा की सूचना दी गयी। यूनियन टीम ने एक स्थानीय मददगार समूह बनाने के कोशिश की। इसने नागरिक समाज के हमदर्द सदस्यों से मुलाकात की जिनमें वकील, ट्रेड यूनियन सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे।

गोलबंदी की इन कोशिशों को 6-7 मालिकों के एक ग्रुप से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इन मालिकों के पास हरिपुरा गांव के आस पास ज्यादातर बड़े बड़े भट्ठों का मालिकाना है। ये वे मालिक हैं जो सबसे कम मजदूरी देते हैं और मजदूरी बढ़ाने से इन्हें ही सबसे ज्यादा नुक्सान होना है। उन्होंने यूनियन को सभा करने की चुनौती दी। उनके आत्मविश्वास का स्रोत तब साफ हो गया जब सभा के दिन सुबह कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार स्थानीय अधिकारी, सब डिविजनल अधिकारी, ने यूनियन के सचिव को फोन करके कहा कि सभा के लिए दी गयी अनुमति निरस्त की जाती है। इसके बाद भट्ठा मालिकों ने तम्बू लगाने वाले को धमकाया कि वह सभा स्थल पर तम्बू न लगाए। यूनियन ने तुरंत

स्थानीय मददगार समूह को ऊँचे पुलिस अधिकारियों से बात करने के लिए प्रेरित किया। हमने स्थानीय पुलिस से सुरक्षा की मांग की। स्थानीय पुलिस ने मौके पर एक टुकड़ी लगा दी। तम्बू फिर से लग गया।

यह सस्पेंस फिर भी बना हुआ था कि मालिकों का प्रतिरोध करते हुए क्या मजदूर अपने अपने भट्ठों से निकलकर बाहर आयेंगे। यह सस्पेंस जल्दी ही खत्म हो गया जब मजदूर छोटी छोटी टुकड़ियों में पहुँचना शुरू हो गए। जल्दी ही तम्बू भर गया पर मजदूर तम्बू के बाहर भी बैठते रहे। लगभग एक हजार मजदूरों ने अपना पंजीकरण करवाया और करीब इतने ही मजदूर बिना पंजीकरण के शामिल रहे। ये संख्याएँ हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा थीं। अतिथियों में स्थानीय शहर के मददगार समूह के लोग थे, अन्य जिलों से भी यूनियन के समर्थक आये थे। मजदूर उत्साह से भरे थे। भाषणों के बाद मजदूरों ने आगे की कारवाई की रूपरेखा तय की। यूनियन के अध्यक्ष ने हड़ताल को जारी रखने का प्रस्ताव रखा। भारी बहुसंख्या में हाथ उठा कर मजदूरों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसके बाद यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। तीन दिन तक हड़ताल जारी रखने का फैसला किया गया। अगर तीन दिन बाद भी मालिक यूनियन की मांगें नहीं मानते तो मजदूर बंधुआ मुक्ति कानून के तहत आजाद होने की अर्जी देंगे और अपने अपने गांव चले जायेंगे। बंधुआ मजदूर मुक्ति कानून के बारे में सभी मजदूरों को बताया गया। लगभग सभी मजदूरों ने कुछ न कुछ एडवांस ले रखा है और वही उनके बंधुआ रहने का कारण है। मजदूरों को बताया गया कि इस कानून के तहत मजदूर अपनी मुक्ति की अर्जी दे सकते हैं और ऐसा करने से उनका बंधुआ बनाने वाला कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत मुक्ति चाहने की अर्जी का फॉर्म भी बांटा गया, जिसे कुछ मजदूरों ने स्वीकार किया।

सभा के बाद मजदूर एक रैली के रूप में नजदीक के हरिपुरा चौराहे पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए गए। रैली उस गांव के बीच में से गुजरी जहां बहुत सारे मालिक रहते थे। बाद में एक समिति गठित की गयी। यह तय किया गया कि हर रोज मजदूर हरिपुरा चौराहे पर जमा होंगे और उसके बाद दिन के कार्यक्रम के मुताबिक टीम ने जहां भी जाना होगा वहाँ जायेगी।

सभा खत्म होने के बाद मालिकों की प्रतिक्रया साफ हुई। एक मालिक ने यूनियन कार्यकर्ता को धमकी दी। एक भट्ठे से हिंसा की खबर आई, एक मजदूर को पीटा गया। मजदूर इकट्ठा हो गए और मालिक को भागना पड़ा। सारा काम रुक गया। यूनियन की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने भट्ठे का दौरा किया। मालिक ने बाद में एक समझौता करने की कोशिश की। शहर के मददगार समूह ने लेबर कमिश्नर से मुलाकात की और त्रिपक्षीय वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया। उसने बैठक के लिए 24 दिसंबर की तारीख दी।

22 दिसंबर, हड़ताल ने तेजी पकड़ी।

यह एक महत्त्वपूर्ण दिन था क्योंकि यह साफ हो गया कि हड़ताल जड़ें पकड़ रही है। बहुत सवेरे से ही यूनियन टीम के मोबाइल फोन बजने लगे। मजदूर शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने तो काम करना बंद कर दिया है पर उनके भट्ठे के अन्य मजदूर काम कर रहे हैं। हरिपुरा चौराहे पर भारी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। वहाँ यूनियन टीम ने ताजा जानकारी दी और सबने अपने अनुभव बांटे। जिस मजदूर को पिछले दिन मार पड़ी थी वह भी मीटिंग में आया और उसने अपनी कहानी सुनाई। यह तय किया गया कि एक टीम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाएगी और बाकी लोग एक जुलुस की शकल में आस पास के ईट भट्ठों पर जायेंगे। तीन सौ मजदूर जुलुस की शक्ल में चल पड़े। जुलुस छः भट्ठों पर गया। जुलुस भट्ठों के गेट पर जाता और वहाँ के मजदूरों से बाहर आकर जुलुस में शामिल होने का आग्रह करता। उत्साह इतना ज्यादा था कि कई मजदूर भट्ठों के अंदर जाकर ईट बनाने की गीली मिट्टी को बर्बाद करने पर उतारू थे। पर एक रणनीति के तहत उन्हें ऐसा करने से रोका गया।

शाम तक यह साफ हो गया कि हड़ताल जोर पकड़ रही है। जिन मजदूरों ने काम नहीं बंद किया था, उन्होंने भी शाम तक काम बंद कर दिया और हड़ताल में शामिल हो गए। ज्यादा से ज्यादा ढुलाई के काम में लगे रेड़ीवाले हड़ताल में शामिल हुए, जिनका काम होता है धूप में सूखी कच्ची ईटों को चिमनी तक ले जाना ताकि उन्हें जलाया जा सके और फिर जली हुई ईटों को वापस चिमनी से लेकर आना। ये मजदूर मसौदा तहसील के रावत समाज के मजदूर हैं। अगर रेड़ीवाले काम करना रोक दें तो चिमनी नहीं जल सकती। इसलिए मालिक लोग इस ग्रुप को थोड़ा ज्यादा भुगतान का वादा करके उनके साथ किसी समझौते पर पहुंचना चाहते हैं। एक रणनीति के तौर पर यूनियन ने पथेरा मजदूरों (जो कि मिटटी से ईट बनाते हैं) को समझाया कि ये ईटें उनकी सम्पत्ति हैं और वे उन्हें रेड़ीवाले को न ले जाने दें। यह रणनीति कारगर रही। ऐसी खबरें आनी शुरू हो गयीं कि बहुत सारे भट्ठों पर पथेरा मजदूरों ने रेड़ीवाले को ईटें ले जाने से रोक दिया। पथेरा मजदूरों में दो बड़े ग्रुप उत्तर प्रदेश (चित्रकूट) और बिहार (बांका) से हैं। यू पी वाला ग्रुप बहुत जागरूक है और उसे मजदूरी भी अच्छी मिलती है।

जुलुस के बाद एक बैठक रखी गयी। यूनियन टीम के साथ 30 लोगों का एक कोर ग्रुप भी ऑफिस आया। यह तय किया गया कि तीस लोगों का एक ग्रुप किसी आपात स्थिति से निबटने के लिए हमेशा तैयार रखा जाय। इस टीम के साथ एक दो घंटे का प्रशिक्षण सत्र भी रखा गया।

मालिक लोग कल एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। श्रम विभाग ने भी सोमवार को यूनियन और मालिकों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता रखी है।

23 दिसंबर, मजदूरों की शांतिपूर्ण मीटिंग पर हिंसक हमला

आज ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा हड़ताली मजदूरों की एक मीटिंग पर हिंसक हमला किया गया। हरिपुरा चौराहे से दो किलोमीटर दूरी पर मजदूरों का एक समूह अपनी मीटिंग कर रहा था। अचानक करीब दस गाड़ियों में भर कर भट्ठों के मालिक और उनके गुंडे वहाँ पहुंचे और मजदूरों और यूनियन की टीम पर पीछे से हमला कर दिया। हमला अचानक हुआ था। औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इस अचानक हमले से मजदूर तितर बितर हो गए। यूनियन टीम के साथियों को अपनी जान बचा कर इधर उधर भागना पड़ा। हमलावर देर तक उनका पीछा करते रहे।

यह हमला पूर्व-नियोजित था। इसके पहले मालिक लोग मांडल शहर में इकट्ठा हुए थे और अपनी मीटिंग की थी। उन्होंने पुलिस स्टेशन में यूनियन के खिलाफ अर्जी थी। और उसके बाद वे आये और मजदूरों की मीटिंग की जगह पर जाकर उनपर हमला किया। पुलिस और प्रशासन मालिकों की मदद कर रहा है। यह मीडिया में दिए गए उनके उन वक्तव्यों से साफ है जिनमें उन्होंने यूनियन पर मालिकों को उकसाने का इलजाम लगाया है। यहाँ तक कि मीडिया भी मालिकों की कहानी को ही ज्यादा तरजीह दे रहा है।

यूनियन टीम जिला कलेक्टर से मिली है। हमने उन्हें ऐसे 15 मजदूर समूहों की लिस्ट सौंपी है जो बंधुआ गुलामी से आजाद होना चाहते हैं। यह अब मुख्य रणनीति रहने वाली है क्योंकि मालिक लोग मजदूरों के साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। भट्ठों से ये खबर आ रही है कि मालिकों ने मजदूरों को डरा धमका कर दुबारा काम शुरू करा लिया है। पथेरा मजदूर काम छोड़ कर जाना चाहते हैं, लेकिन मालिक लोग उनसे जबरदस्ती काम करा रहे हैं।

24 दिसंबर, फिर से संगठित होने की ओर

आज का दिन बहुत कठिन था। आंदोलन को कल हिंसक दमन का सामना करना पड़ा था। संघर्ष में मालिक लोग हावी हो गए थे। यूनियन टीम के व्यक्तिगत सदस्य बहुत देर रात को ही ऑफिस वापस पहुँच सके। कुछ को तो कई किलोमीटर तक पैदल चलना या दौड़ना पड़ा। और हमलावर उनके पीछे भागते रहे थे। एक सदस्य को तो रात बारह बजे आसींद के पुलिस स्टेशन से लाना पड़ा।अब टीम कार्यक्षेत्र में मजदूरों के बीच जाने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए अब रणनीति मांडल और भीलवाड़ा पर जोर देने की बनी। एक टीम एस. पी. ऑफिस गयी ताकि उनको स्थिति से अवगत कराया जा सके और यूनियन सदस्यों के लिए सुरक्षा की मांग की जा सके।

इस हमले का विरोध करने के लिए आज यूनियन ने मांडल में एस.डी.ओ. ऑफिस के सामने धरने का आयोजन किया। मुख्य मांगें हैं: 1. यूनियन पर हुए हिंसक हमले की प्रशासनिक जांच हो। 2. जो मजदूर बंधुआ मुक्ति कानून के तहत आजादी चाहते हैं उन्हें मुक्त किया जाय। मजदूरों को मांडल बुलाना आसान नहीं था क्योंकि यह जगह ईंट भट्ठों से दूर है। कई मजदूरों ने कहा कि उनके पास मांडल तक जाने के लिए भाड़ा नहीं है। फिर भी करीब 80 मजदूर धरने में पहुंचे।

यह तय हुआ कि अब बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने पर ही ज्यादा जोर लगाया जाय। एक सूची तो कल ही रात जिला कलेक्टर को दी जा चुकी थी। आज इस सम्बन्ध में नई सूचियाँ बनाई गयीं।

भट्ठों से मिली जुली खबरें आ रही थीं। कई भट्ठों पर मजदूरों ने काम शुरू कर दिया था क्योंकि मालिकों ने मजदूरी बढ़ाने का वादा कर दिया था। ईंट ढोने वालों को (जो काम की श्रृंखला की बहुत संवेदनशील कड़ी हैं), दस रुपयों की बढोत्तरी (मजदूरी 80 रुपये से बढाकर 90 रुपये) का प्रस्ताव किया गया था। ज्यादातर ने काम शुरू कर दिया था। पथेरा मजदूरों को प्रति एक हजार ईंटों के लिए मजदूरी पचास रुपये से सौ रुपये तक बढ़ाने के अलग अलग प्रस्ताव आ रहे थे। यह 16% से 33% की वृद्धि होती। कुछ ने काम शुरू कर दिया जबकि कुछ अभी भी डटे हुए थे। मजदूरों की मुक्ति ऐसे में जटिल हो जाती है क्योंकि कुछ मजदूर इस वेतन वृद्धि का फायदा भी उठाना चाहते थे।

हांलाकि स्थानीय प्रशासन भट्ठा मालिकों के साथ मिला हुआ था। फिर भी उस पर बाहर से लाये गए दबाव ने असर दिखाना शुरू कर दिया। राज्य सरकार के सबसे ऊंचे अफसर, मुख्य सचिव, ने जिले के प्रशासनिक और पुलिस मुखियाओं को फोन किया। बहुत सारे नागरिक अधिकार के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से घटना के बारे में पूछताछ की और बात की। शाम तक संकट के बादल छंटना शुरू हो गए थे। टीम शहादत का आनंद उठा रही थी। इस हिंसक घटना से एक और सकारात्मक असर पड़ा था। इसने मजदूरों की नजर में यूनियन की साख मजबूती से जमा दी थी।

26 दिसंबर, भीलवाड़ा में शासक वर्गों का गठजोड़

भारत में शासक वर्गों का गठजोड़ हर जगह नजर आता है (पैसा कमाने वाले राजनीतिकों, अचल संपत्ति के दलालों, भ्रष्ट और चाटुकार अफसर, दलाल पूंजीपति/मुनाफाखोर व्यवसायी आदि। इस सच्चाई से हमारा भीलवाड़ा में भी सामना हो रहा है। हमले के बाद चार दिन बीत चुके हैं और हमें अभी भी पुलिस से एफ.आई.आर. की कॉपी नहीं मिली है। पुलिस कह रही है कि उसके पास हमारे खिलाफ भी कम्प्लेंट है और वे मालिकों की रिपोर्ट पहले लिखेंगे। आज हम जिले के सबसे ऊंचे पुलिस पदाधिकारी- पुलिस

सुपरिंटेंडेंट-एस.पी. से मिलने गए। उन्होंने ने तो हमें वहीं खड़े खड़े ही लगभग गिरफ्तार ही कर लिया और शान्ति भंग करने का इलजाम ठोंक दिया।

अब यह बहुत साफ है कि सारा स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से स्थानीय राजनीतिक गिरोह के नियंत्रण में है जिसने यह फैसला कर लिया है कि यूनियन को काम नहीं करने दिया जायेगा। और यूनियन को मार पीट कर भगा दिया जायेगा। ऐसा लग रहा है कि ऐसे आदेश और सहमतियाँ सीधे बहुत ऊपर से, किसी शक्तिशाली केन्द्रीय मंत्री के जरिये आ रही हैं। इसलिए जिले स्तर के अधिकारियों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। संघर्ष को व्यवस्था के ऊंचे स्तरों तक ले जाना पड़ेगा। अब हम इन बातों पर विचार कर रहे हैं:

1. राज्य और राष्ट्रीय राजधानी में प्रेस कांफ्रेंस
2. राज्य के मुख्यमंत्री, जो राज्य के गृहमंत्री भी हैं, से मुलाकात
3. और केन्द्र में जो भी शक्ति के केंद्र हैं उनसे मुलाकात

हड़ताल अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मजदूरों को भोजन भत्ते न देने, और रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें जैसे ईंधन और पीने के पानी को रोक देने जैसी धमकियों के बोझ तले सभी मजदूर काम पर वापस जा चुके हैं। मालिकों द्वारा मजदूरी में बढ़ोत्तरी के वायदे अस्पष्ट हैं। रेड़ीवालों को तो निश्चित रूप से 80 रुपये की जगह 90 रुपये मिलने लगे हैं और वे सबसे पहले काम पर वापस चले गए। पथेरा मजदूरों की स्थिति स्पष्ट नहीं है, वे सबसे ज्यादा संख्या में हैं और सबसे ज्यादा शोषित भी हैं। जिस भट्ठे में हिंसा की घटना हुई थी और जहां हड़ताल पूरी तरह सफल थी, वहाँ से ऐसी खबर है कि मजदूरी तीन सौ रुपये से बढ़ाकर चार सौ रुपये कर दी गयी है। बाकी ज्यादातर जगहों पर मालिक लोग, हमेशा की तरह, बाजार दर के हिसाब से मजदूरी देने की बात कर रहे हैं। मजदूरों के साथ दुबारा संपर्क शुरू करने और उन्हें गोलबंद करने के लिए ये विचार आ रहे हैं:

- सड़क के किनारे और होटलों में चर्चा करना
- हरिपुरा चौराहे पर किसी प्रसिद्ध हस्ती को बुलाकर एक धमाकेदार सभा करना

आज यूनियन ने भीलवाड़ा में एक प्रेस कांफ्रेंस की और अपना पक्ष रखा। उम्मीद है कि कुछ मीडिया वाले ईंट भट्ठों का दौरा करेंगे और वहाँ की हालत देखेंगे, वह काम जो उन्होंने आज तक नहीं किया है। यह भी कोशिश की जा रही है कि कमजोर तबकों की देखरेख करने वाले संवैधानिक संस्थानों को निमंत्रित किया जाए और उनका दौरा करवाया जाये, जैसे बाल अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, मानव अधिकार आयोग आदि। राष्ट्रीय स्तर के अखबारों से भी बात हो रही है कि वे इस मुद्दे पर छापें।

29 दिसंबर, सफलता की खुशबू

कल मांडल आसींद क्षेत्र के ईंट भट्ठा मालिकों और यूनियन के बीच एक बैठक हुई। भीलवाड़ा के पुलिस विभाग ने मीटिंग की मध्यस्थता की और मीटिंग बुलाई। जिले की पुलिस का पूरा ऊपरी तबका वहाँ हाजिर था। मालिक लोग इस बात पर सहमत हुए कि वे पथेरा मजदूरों, जो ईंट ढलाई का काम करते हैं, को प्रति एक हजार ईंटों के लिए चार सौ रुपये मजदूरी देंगे। रेड़ी वालों (ढुलाई करने वालों) के लिए मजदूरी 80 रुपये से 100 रुपये तक रहेगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रेड़ी उनकी अपनी है कि मालिक ने दी है और ढुलाई की दूरी कितनी है। ईंट पाथने वाले मजदूरों के लिए यह वृद्धि 33% है जो हर परिवार के लिए पूरे मौसम में बीस हजार रुपये के बराबर है। पांच हजार मजदूर परिवारों को इससे लाभ होगा। कुल मिला कर सिर्फ इस श्रेणी के मजदूरों को लगभग दस करोड़ रुपये का लाभ होगा। मालिक लोग यूनियन की गाड़ी तोड़ने का भी हर्जाना देंगे।

लेकिन मजदूरी में बढोत्तरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मालिकों और प्रशासन की तरफ से यूनियन की एक स्वीकृत पहचान बन गयी। अगले साल जुलाई में नए मौसम की शुरुआत में नई दरों पर समझौते के लिए भी मालिक लोग तैयार हुए।

इस सफलता के पीछे मजदूरों की एकजुटता और संघर्ष के साथ साथ, मीडिया और नागरिक समाज के कुछ प्रबुद्ध जनों का सहयोग, नौकरशाही में ऊंचे धरातल को संघर्ष के पक्ष में खड़ा कर पाने में सफलता कुछ अहम कारक रहे।

मजदूरों ने एक मोर्चा तो जीत लिया। अभी आगे एक लंबा युद्ध इंतजार कर रहा है।

अतीत, वर्तमान और भविष्य की वैज्ञानिक और जनवादी समझ बनाने के लिए पढ़ें-

संघर्ष चेतना का मुखर सहयात्री

फिलहाल

नेहरु नन्दा भवन, दरोगाराय पथ, पटना-800001
फोनः 01612-2506577
ईमेल- filhaalpatna@gmail.com

सीमापुरी, दिल्ली में कबाड़ी मजदूरों की बस्ती

■ अंकिता, सिद्धि, चैतन्या
(नवरोज समूह)

सीमापुरी- उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच की सीमा पर झुग्गी-झोपड़ियों की बस्तियों से पटा हुआ एक क्षेत्र। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम तीन छात्र, एक अध्यापक और 'श्रमिक दुनिया' के संपादक एक टोली में सीमापुरी की एक बस्ती में पहुचे, जहां 2000 झोपड़ियों में करीबन 10,000 कूड़ा उठाने और बीनने वाले मजदूर रहते हैं। ये मजदूर पश्चिम बंगाल के हल्दिया जिले के मुसलमान प्रवासी थे, जो बहुत सालों पहले अपने परिवारों के साथ एक बेहतर जिन्दगी की तलाश में दिल्ली आ कर बस गए। तब से ये दिल्ली में घर घर से कूड़ा उठाने का और उसको छांट-छांट कर आगे बेचने का काम करते आये हैं। बस्ती में घुसते ही हमें बहुत सी औरतें और बच्चे अलग-अलग तरह के कूड़े के ढ़ेरों को छांटते और तोलते हुए दिखे। पूछने पर हमें पता चला कि इन मजदूरों के दिन की शुरुआत ही कूड़ा बटोरने से हो जाती है। सुबह सुबह बस्ती के मर्द करीब 300-350 घरों का कूड़ा बटोरने के काम पर निकल पड़ते हैं। औरतें और बच्चे बस्ती में कूड़े को प्लास्टिक, कागज-गत्ता, और गीले कूड़े आदि के ढेरों में अलग करने में लग जाते हैं। कूड़े को इस तरह अलग करना जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग कारखानों में बेचा जाता है। कारखानों को बेचने का काम ये मजदूर खुद नहीं करते। छांटने के बाद ये लोग अपना कूड़ा कुछ बड़े दुकानदारों को बेच देते हैं, जिनके पास इसे कई दिनों तक इकट्ठा करने के लिए गोदाम होते है। ये दुकानदार इस कूड़े को इकठ्ठा कर ऊंचे दरों पर कारखानों को बेचते हैं। गोदाम के जैसी जगह की कमी के कारण, और क्योंकि कारखाने सिर्फ थोक में ही कूड़ा खरीदते हैं, सीधा कारखानों को कूड़ा बेचना मजदूरों के बस की बात नहीं है। इसी जगह की कमी के कारण ये मजदूर गीले कूड़े से खाद बना कर बेच नहीं पाते। लगभग 5 सदस्यों के इन मजदूर परिवारों के महीने की आमदनी 6000 रूपये तक की होती है- जिस में से उन्हें अपना कूड़े का ठेला बस्ती के ईदगाह में खड़ा करने के लिए किराया भी देना पड़ता है। बारिश के मौसम में बस्ती में पानी भरने के कारण जब कूड़ा छांटने का काम मंद पड़ जाता है, तो इन लोगों को दुकानदारों से ऊंचे ब्याज पर उधार लेना पड़ता है।

इन सभी कारणों से कूड़ा उठाने वाले इन मजदूरों की आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर ही रहती है। ऐसे में बड़ी प्राइवेट कंपनियों का, जो कि कूड़े-कचरे के काम में अब लगने लगी हैं, इन गरीब मजदूरों को शोषित करना बहुत आसान हो जाता है। अप्रैल 2011 की तहल्का मैगजीन के संस्करण में छपी एक रिपोर्ट (http://www.tehelka.com/story_main49.asp?filename=Ne230411FROM.asp) के अनुसार दिल्ली सरकार ने 5 प्राइवेट कंपनियों को (Delhi Waste Management (DWM), ABG Enviro, Metro Waste, Ramky and Delhi MSW Solutions) कूड़ा बटोरने और रीसाइकल करने का काम दे दिया है। ये कम्पनियां दिल्ली के 3.5 लाख कूड़ा उठाने वाले मजदूरों की आजीविका को खतरे में डाल कर अपने मुनाफों को बढाने में लगी हैं। सीमापुरी की इस बस्ती में तो नहीं, पर दिल्ली की कई ऐसी बस्तियों के मजदूरों को अब कूड़ा इकठ्ठा करने के लिए इन कंपनियों की इजाजत चाहिए होती है, जो कि पैसों के बदले ही मिलती है, या फिर इन कंपनियों के लिए बहुत कम वेतन पर काम करना पड़ता है। टोक्सिक्स-वॉच अलाएंस की 2009 की एक रिपोर्ट (http://toxicswatch.blogspot.in/2009/01/corporatization-of-waste-underway.html) के अनुसार प्राइवेट कंपनियों को काम सौंपने के बाद MCD सालाना 30-40 करोड़ की बचत कर सकता है, जो कि मजदूरों की कम वेतन के कारण ही मुमकिन है।

आर्थिक स्थिति के साथ साथ इन मजदूरों के रहन-सहन की परिस्थितियाँ भी बहुत कठोर हैं। हालांकि इस बस्ती की जमीन सरकार ने ही दी थी, यहाँ के घरों में बिजली के मीटर के इलावा कोई भी सरकारी सुविधा नहीं है। घरों के बीच का रास्ता इतना संकरा है कि 2 लोगों का अगल-बगल चलना मुमकिन नहीं है। ऊंचे नीचे, टूटे हुए रास्ते में नाले का गन्दा पानी बहता रहता है, और किनारे चल रहे पीने के पानी वाले पाइप को भी गन्दा करता रहता है। कहीं कहीं पर नाला घरों से इतना ऊंचा है कि उसका मल-मूत्र से भरा पानी घरों में भर जाता है। इसी नाले के ऊपर बच्चे खेलते हैं, घरों का खाना बनता है, और इसी में बहुत तरह की बीमारियाँ भी पलती हैं। सरकार ने 10,000 लोगों की इस बस्ती के लिए सिर्फ 2 शौचालयों का प्रबंधन किया है, जिन में से एक बंद पड़ा है। बस्ती के बहुत थोड़े घरों में ही शौचालय हैं।

अपने इस कठोर जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन मजदूरों की उम्मीद शिक्षा-ग्रहण पर टिकी हुई थी। पर बहुत मेहनत से अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने के बाद भी इन लोगों को यही परिणाम मिला कि आज भी इस बस्ती के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं और कूड़ा उठा रहे हैं। उन लोगों ने हमें बताया कि MCD में सफाई कर्मचारी की नौकरी पाने के लिए भी उन्हें घूस देनी पड़ेगी, जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ये एक बहुत निराशजनक स्थिति है। इस बेरोजगारी का परिणाम सिर्फ गरीबी ही नहीं है, पर एक बेकारी की भावना भी है, जो इस बस्ती के नौजवानों के आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान को उजाड़ कर रख सकती है।

इस पूंजीवादी समाज में इन मजदूरों को नितांत गरीबी और

बेरोजगारी के अलावा और भी कई तरीकों का अपमान झेलना पड़ता है। वोटर आई.डी, राशन कार्ड आदि होने के बावजूद पुलिस अक्सर इन मजदूरों को बंगलादेशी प्रवासी होने के आरोप में परेशान करती है, गिरफ्तार कर लेती है और 500 रूपये देने पर ही छोड़ती है। हर साल इलेक्शन के समय कई एम.एल.ए. इनकी बस्तियों में आ कर वोटों की विनती करते हैं और कई झूठे वादे भी करते हैं। इलेक्शन के बाद वो फिर कभी वापिस नहीं आते।

इस इलाके में काम कर रहे कई एन.जी.ओ. ने भी इन लोगों को सिर्फ धोखा ही दिया है। ये प्राइवेट संस्थाएं इस मजदूर बस्ती की परेशानियों के बल पर सिर्फ पैसा बनाती हैं। कहने को इनकी कई परियोजनाएं इन बस्तियों में चल रही हैं, जिनके लिए इन संस्थाओं को पैसे भी मिलते हैं- पर इन परियोजनाओं का इन बस्तियों पर कोई भी वास्तविक असर नहीं हुआ है। और तो और, ये संस्थाएं इनकी मदद करने के लिए कभी कभी इन मजदूरों से पैसे भी ऐंठती हैं। ये मजदूर वर्ग के लोग अपना जीवन एक ऐसे अँधेरे में गुजार रहे हैं, जिससे बाहर निकलने की उम्मीद उन्हें हमारे इस समाज की कोई भी ताकत नहीं दे सकती है। ना इनके काम से इनका पेट पलता है, ना जीवन में इन्हें कोई संतुष्टि मिली है, और ना ही आने वाले कल के लिए इन्हें कोई आशा है। ये लोग ऐसे कठोर, अमानवीय हालातों में जीते हैं, ताकि हमें कम से कम कीमतों पर अपने घर और ऑफिस साफ सुथरे मिलें। ताकि DWM, ABG Enviro, Metro Waste, Ramky और Delhi MSW Solutions जैसी कंपनियां अपने मुनाफे करोड़ों से बढ़ा सकें और राजनैतिक नेता इनकी गरीबी का फायदा उठा कर, इनके वोट खरीद कर, अपनी कुर्सी पर टिके रह सकें। इन लोगों की कोई पहचान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। इनके अधिकारों की भी कोई पहचान नहीं है, और ना ही इनकी आवाज है उन नीतियों को प्रभावित करने की, जिनसे इनका जीवन तय होता है। हमारे इस लोकतंत्र में इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

ऐसे में हम इन्हें क्या सलाह देते? कि और ज्यादा मेहनत करो? अपने बच्चों को पढाओ-लिखाओ? सफाई से रहो और बीमारियों से दूर रहो? क्या सच में? पढाई-लिखाई से इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इनके काम करने की परिस्थितियाँ देखते हुए सफाई से रहना इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। कठोर गरीबी और बेकारी के कारण ये बस्ती नशे की दवाइयां बेचने वालों का आसान शिकार बन गयी है।

हमने देखा कि आंगनवाड़ियों, एन.जी.ओ, और मदरसे ने इनके लिए क्या किया. एन.जी.ओ ने इन्हें सिर्फ बेवकूफ बनाया, मदरसा बंद हो गया-क्योंकि बस्ती के लोगों के पास अध्यापक को देने के लिए पैसे नहीं थे, और आंगनवाड़ियाँ सरकार की तरफ से एक मजाक सी हैं। ये सिर्फ खाना देने के लिए खुलती हैं, और इनमें खाना भी अक्सर खत्म होता है।

एक दिन शायद जब इस पूंजीवादी समाज के यंत्रीकृत कूड़ा उद्योग को ज्यादा काबिल मजदूरों की जरुरत पड़ेगी, तो शायद ऐसी बस्तियों के नौजवानों को 'वोकेशनल ट्रेनिंग' दी जायेगी, जिससे वो मशीन ठीक से चला सकें। समाज में उनका दर्जा बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है। इनकी स्थिति और खराब भी हो सकती है। इनका समाज में फिर भी सम्मान नहीं होगा और इनके जीवन में तब भी कोई आशा की किरण नहीं होगी। इसीलिए हम इनको दोष नहीं देंगे अगर ये उस दिन का धैर्य से इंतजार नहीं करते। और इनके इन्साफ के संघर्ष में हम इनका साथ देंगे।

पढ़ना-लिखना सीखो

-सफदर हाशमी

पढ़ना-लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों
पढ़ना-लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों
क ख ग को पहचानो
अलिफ को पढ़ना सीखो,
अ आ इ ई को हथियार
बनाकर लड़ना सीखो
ओ सड़क बनाने वालो, ओ भवन उठाने वालो
खुद अपनी किस्मत का फैसला अगर तुम्हे करना है
ओ बोझा ढोने वालो, ओ रेल चलाने वालो
अगर देश की बागडोर को कब्जे में करना है
क ख ग को पहचानो
अलिफ को पढ़ना सीखो,
अ आ इ ई को हथियार
बनाकर लड़ना सीखो

पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं ?
पढ़ो, तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं ?
पूछो, मां-बहनों पर यों बदमाश झपटते क्यों हैं ?
पढ़ो, तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों है ?
पढ़ो, लिखा है दीवारों पर मेहनतकश का नारा
पढ़ो, पोस्टर क्या कहता है, वो भी दोस्त तुम्हारा
पढ़ो, अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा
पढ़ो, किताबें कहती हैं - सारा संसार तुम्हारा
पढ़ो, कि हर मेहनतकश को उसका हक दिलवाना है
पढ़ो, अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है
क ख ग को पहचानो
अलिफ को पढ़ना सीखो,
अ आ इ ई को हथियार
बनाकर लड़ना सीखो

सरकारी योजनाओं से महरुम निर्माण मजदूर

■ **नाजिम अन्सारी**

आजाद भारत के लोक सभा मे निर्माण मजदूरों के लिए विधेयक 1996 में जब पारित हुआ तो ऐसा लगा कि निर्माण मजदूरों की खुशहाली का समय आ गया है। अब मजदूरों की दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा और विधेयक में प्रस्तावित समस्त योजनाओं का लाभ बड़े ही आसानी से श्रमिकों को मिल जायेगा। परन्तु भवन निर्माण मजदूर विधेयक 1996 को अपने राज्यों में लागू करना तो दूर विधान मण्डलों में पास भी नहीं कराया गया। 13 वर्षों के लम्बे इन्तजार के बाद जब 13 फरवरी 2009 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पास कराया गया तो ऐसा लगा कि प्रदेश के 20 करोड़ की आबादी के लगभग तीन करोड़ निर्माण श्रमिकों कों इसका सीधा लाभ मिलेगा और इसको तात्कालिक मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के द्वारा जोर-ज़ोर से लागू कराया जायेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रदेश में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन 2010 में हुआ और उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर नियमावली (सेस) 2009 में बना। इसके अन्तर्गत सरकारी या गैर सरकारी ठेकेदार नियोक्ता से टेण्डर राशि का एक प्रतिशत सेस के रूप में कल्याण बोर्ड में जमा करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में कल्याण बोर्ड के पास साढ़े छः सौ करोड़ की धनराशि जमा हो चुकी है और मजदूरों के कल्याण हेतु 16 तरह की कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा चुका है।

जैसे- अधिवार्षित मजदूर पेन्शन योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना, मृत्यु व अन्त्येष्टि सहायता योजना, एम्बुलेन्स सहायता योजना, दुर्घटना सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, श्रमिकों में कौशल विकास योजना, मातृत्व हित लाभ योजना, शिशु हित लाभ योजना, बालिका आशीर्वाद योजना, पुत्री विवाह अनुदान योजना, शिक्षा सहायता योजना, औजार सहायता योजना, निर्माण कामगार शिक्षा योजना, निर्माण श्रमिकों के हितार्थ सोलर लालटेन योजना, निर्माण कामगार आवास योजना आदि मजदूरों के हित में कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित हैं। लेकिन ये योजनाएं आज भी मजदूरों से कोसों दूर हैं, क्योंकि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में बतौर लाभार्थी वही पंजीकृत हो सकता है जो किसी ठेकेदार के अन्दर में कार्य कर रहा हो और वो ठेकेदार बोर्ड में (सेस) उपकर जमा किया हो।

लेकिन व्याहारिक रूप से ये भी देखने को मिल रहा है कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों के द्वारा जिन मजदूरों का पंजीयन कल्याण बोर्ड में कराया गया है उन मजदूरों को बोर्ड का कार्ड पहुँचा ही नहीं और न ही उनको कल्याण बोर्ड की योजनाओं की जानकारी है। ऐसे में मजदूरों तक कल्याण बोर्ड की योजनाएं कैसे पहुँचेगी? कल्याण बोर्ड के जो श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में सदस्य हैं उन्हें भी अन्य जनपदों में भ्रमण कर बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं को जमीनी स्तर पर देखने का अधिकार नहीं है। इस तरह बोर्ड के अधीनस्थ अधिकारियों को जिलों में मनमानी करने की आजादी मिल जायेगी और मजदूरों के लिए संचालित योजना का लाभ मुठठी भर लोगों तक रहेगा और पूरी योजना लाल फीताशाही के लापरवाही की भेंट चढ़ जायेगी और कागजों में सिमट कर दम तोड़ देगी।

इसके लिये जिले स्तर पर अधिक से अधिक जन संगठनों, ट्रेड यूनियनों, स्वैच्छिक संगठनों को व्यापक रूप से मजदूरों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जन अभियान चलाना पड़ेगा तभी कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ निर्माण मजदूरों को शायद मिल पाये।

वह समाज जो कर न सके

वह समाज जो न कर सके हर औरत का सम्मान,
जिस समाज में बसते हों वहशी-जैसे इन्सान,
जिस समाज में मां-बहनों की इज्जत बिक जाती हो,
जहां नजर हर गुंडे की औरत पर टिक जाती हो,
जहां की कोर्ट-कचहरी पुलिस-हुकूमत सब बहरी हो,
जिस समाज का संविधान जैसे दलदल गहरी हो,
जहां नहीं औरत को सड़क पर चलने की आजादी,
भूखी, नंगी, बेघर, बेबस जहां की हो आबादी,
जहां फकत दो-चार लोग अपनी ताकत के बल पर,
रख दें हर नारी को अपने पैरों तले कुचल कर,
उस समाज का बहिकार अब कर देगा इन्सान,
मां-बहनों को मिल पाएगा दुनिया में सम्मान,
कल की सुबह अनोखी होगी कल की शाम निराली,
नाचेगी औरत के मन में खेतों की हरियाली,
इस सब को सच करने की अब ली है मन में ठान,
मिलकर कदम बढ़े हैं अब पूरे होंगे अरमान!

-सफदर हाशमी

हशिये पर पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक

■ **नाजिम अन्सारी**

भारत में 05 करोड़ मजदूर खनन के कार्य में पत्थर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 07 लाख पत्थर तोड़ने वाले मजदूर काम कर रहे हैं। इलाहाबाद में 40 क्रेशर हैं। इनके लिये भारत सरकार के पास न कोई कल्याणकारी योजनाएं हैं और न ही बोर्ड है। खनन विभाग उ0प्र0 को 2011-2012 में खनन लाइसेन्स के मद में 593.27 करोड़ की राजस्व की आमदनी हुई है। इतनी बड़ी रकम राज्य सरकार को प्रति वर्ष मिलती है उसके बावजूद पत्थर तोड़ने वाले मजदूर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। असंगठित कर्मकार श्रमिक यूनियन उ0प्र0 (अक्सू) द्वारा सूचना के अधिकार में मांगी गयी और पाई गई सूचना के अनुसार पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों के लिए कोई कल्याण बोर्ड नहीं है व सरकार द्वारा इनके लिये कल्याण बोर्ड बनाने की कोई योजना नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में पत्थर खदान में लगे मजदूरों के साथ सरकार सीधे तौर पर भेदभाव क्यों कर रही है? क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं?

पत्थर खदान में कार्यरत मजदूरों को सिलकोसिस, दमा, टी.बी., मोतियाबिन्द की बीमारी, आसानी से हो जाती है। इस क्षेत्र में कार्यरत मजदूर 40-50 की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते मौत के गाल में समा जाते हैं। इनके लिए किसी भी तरह की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इनके बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। परिवार को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, क्योंकि इस क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा इन का जमकर शोषण किया जाता है। पत्थर तोड़ने वाले मजदूर अपने पत्नियों एंव बच्चों का इलाज भी पैसों के अभाव में नहीं करा पाते और अस्पताल पहुँचने से पहले दवा के अभाव में वे दम तोड़ देते हैं। ज्यादातर बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं।

खनन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार

2007-08 में 395.15 करोड़
2008-2009 में 427.18 करोड़
2009-2010 में 406.97 करोड़
2010-2011 में 653.39 करोड़
2011-2012 में 593.27 करोड़

सरकार को आय हुई है खदान लाइसेंसों से। पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड के गठन की सख्त जरूरत है।

इसलिए राह संघर्ष की हम चुनें

इसलिए राह संघर्ष की हम चुनें
जिंदगी आंसुओं में नहायी न हो
शाम सहमी न हो, रात हो न डरी
भोर की आंख फिर डबडबायी न हो....।
सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे
रोशनी रोशनाई में डूबी न हो
यूं न ईमान फुटपाथ पर हो खड़ा
हर समय आत्मा सबकी ऊबी न हो
आसमां में टंगी हों न खुशहालियां
कैद महलों में सबकी कमाई न हो।
इसलिए राह संघर्ष.....

कोई अपनी खुशी के लिए गैर की
रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते
छींटकर थोड़ा चारा कोई उम्र की
हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते
हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा
और किसी के लिए एक चटाई न हो।
इसलिए राह संघर्ष.....

अब तमन्नायें फिर न करें खुदकुशी
ख्वाब पर खौफ की चौकसी न रहे
श्रम के पावों में हों ना पड़ी बेड़ियां
शक्ति की पीठ अब ज्यादती ना सहे
दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना
रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो।
इसलिए राह संघर्ष.....

बह रहा है लहू फिर गरीबों का क्यूं
जल रही बस्तियाँ फिर गरीबों की क्यूं
धर्म के नाम पर हो रहे कत्ल क्यूं
जल रहा देश नफरत की आग में क्यूं
फिर कभी खून सस्ता न हो गैर का
धर्म के नाम पर फिर लड़ाई न हो
इसलिए राह संघर्ष.....

-वशिष्ट अनूप

हाकरों के लिए भी बनाना चाहिए कानून

■ वेद प्रकाश

आज भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7% प्रतिवर्ष की दर से अभूतपूर्व वृद्धि कर रही है, लेकिन रोजगार वृद्धि में कोई गति नहीं है। अच्छी औपचारिक नौकरियाँ आज से दस साल पहले से भी कम हैं और बेरोजगारी की दर अपने उच्चतम स्तर पर दर्ज की गई है। कई वर्षों से 'बिना रोजगार के विकास' ने अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था को पतनोन्मुख किया है।

आज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 65% से अधिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से प्राप्त हो रहा है, यह कुल कार्यबल के 93% के परिश्रम से आता है। ज्यादातर अनौपचारिक काम स्व-रोजगार के रूप में है, जिसमें मजदूरी में लगातार गिरावट जारी है। औपचारिक क्षेत्र के निश्चित रोजगार के अभाव में इस संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कुल गैर-कृषि अनौपचारिक रोजगार के 52% स्व-रोजगार के रूप में कुल महिला कामगारों में से स्व-रोजगार में लगी महिलाओं का प्रतिशत 57 है और कुल पुरुष कामगार आबादी में स्व-रोजगार मे लगे पुरुषों का प्रतिशत 51 है। शहरी क्षेत्रों में महिलाए 48% और पुरुष 45% स्व - रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

हालत यह है कि भारत की बदलती अर्थव्यवस्था में खुदरा और थोक व्यापार, रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। और इतनी बड़ी संख्या के बावजूद खुदरा क्षेत्र आज बीच चौराहे पर नजर आता है। इसमें तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। हॉकर हो या फुटपाथ पर रेड़ी विक्रेता, ये सभी शहरी आबादी के 2% के आसपास हैं। दरअसल हकीकत यह है कि खुदरा क्षेत्र सभी जगहों से ठुकराए गए बेरोजगारों के लिए शरण उपलब्ध कराता है। यह क्षेत्र अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के लिए बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के लोगो की जीवन नैया पार लगा रहा है। भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में सड़क की पटरी के विक्रेता और हॉकर, सबसे ज्यादा दिखने वाले क्षेत्रों में से एक हैं। वे सुविधाजनक स्थानों और सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। वे सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर असुरक्षित परिस्थितियों में काम करते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत इस काम को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी यह दुर्दशाग्रस्त है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विक्रेताओं का पुलिस द्वारा उत्पीड़न, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली, और इन्हें जगह उपलब्ध करने से इंकार करना आम बात है।

2004, और 2009 में इस क्षेत्र में किये गए प्रयासों के बाद हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने ऐसे विक्रेताओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपलब्ध करने के लिए एक मसौदा (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012 तैयार किया है। आज जरूरत बनती है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की पहचान की जाय और उनको औपचारिक दर्जा दिया जाय। आज ग्लोबल अर्थव्यवस्था में भी इनकी प्रासंगिकता उतनी ही है जितनी की इससे पहले थी।

कामगार आबादी को सस्ते में तथा उनकी जरूरत की जगह पर उनके उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराकर ये शहरी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं।

आज भी इनको संगठित कर एक सशक्त आवाज बनाने का कार्य एजेंडे पर है। मुक्कमल संगठन के अभाव में इनका उत्पीड़न आज भी बदस्तूर जारी है। अर्थव्यवस्था में व्यापक चढ़ाव और उतार की स्थितियों में इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि आबादी के एक बड़े हिस्से को इस क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इसे और नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए स्पष्ट परिभाषा और कानून बनाने ही पड़ेगें।

पर्वतों को फोड़कर

पर्वतों को फोड़कर, पत्थरों को तोड़कर,
बांधे प्रोजेक्ट ईंट-लोहू से जोड़कर,
श्रम किसका है? धन किसका है?.....

जंगल को काटकर, धरती को जोतकर,
फसलें उगाई स्वेद लहरों से सींचकर,
भात किसका है? माड़ किसका है?.....

हमने ही ताना और बाना लगाकर,
कपड़े बुने नस-नस को धागा बनाकर,
गर्मी किसकी? ठिठुरन किसकी?.....

कल मशीन घुमाई, पैदावार बढ़ाई,
ताकत की बिजली से फैक्टरियां चलाई,
कोठी किसकी? झुग्गी किसकी?.....

कारण समझ लिए, हथियार उठा लिए
क्रांति हम चलायेंगे युद्ध बिना बन्द किए
मौत तुम्हारी। जीत हमारी।.....

-चेराबण्ड राजू

दक्षिण अफ्रीका के प्लेटीनम खदान मजदूरों का भीषण नरसंहार

दक्षिण अफ्रीका की मारिकाना स्थित लोनमिन कंपनी की प्लेटीनम खदान के मजदूर 10 अगस्त से हड़ताल पर थे। ये वे मजदूर हैं जो जमीन के भीतर एक मील तक चट्टानों को तोड़कर प्लेटीनम नामक बहुमूल्य धातु बाहर लाते हैं। इनका काम जानलेवा है और मजदूरी बहुत कम। इस कम मजदूरी के विरूद्ध 3000 मजदूर हड़ताल पर गये। इनको चट्टानों को तोड़ने वाले ऑपरेटर कहा जाता है। ये मजदूर खदान के ऊपरी पहाड़ी पर चढ़ गये थे। वे मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।

16 अगस्त के दिन दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने उन पर बहशियाना हमला बोल दिया। पुलिस बल का एक हिस्सा आंसू गैस, पानी की तेज बौछारें फेंकने वाले पाइप और अन्य हथियारों के बल पर मजदूरों को पहाड़ी से नीचे खदेड़ने में लगा था तथा दूसरा हिस्सा स्वाचालित हथियारों तथा हथियारबंद गाड़ियों के साथ आगे बढ़कर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। इनके ऊपर से मदद के लिए हेलीकॉप्टर लगे थे। एक तरफ निहत्थे मजदूर और दूसरी तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस थी। यह पुलिस लोनमिन कंपनी की मदद से मजदूरों का नरसंहार कर रही थी। 16 अगस्त, 2012 का दिन दक्षिण अफ्रीका के रक्त पिपासु शासकों द्वारा मजदूरों पर बरपा किये गये अत्याचार का वह ऐतिहासिक काला दिन है जिसने 34 मजदूरों का नरसंहार कर दिया और 76 से ज्यादा मजदूरों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान 259 मजदूरों को गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया गया। इन लोगों पर हत्या या हत्याओं की कोशिश करने के आरोप मढ़ दिये गये।

दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस अपने अतीत के गुणगान करके वर्तमान में देशी-विदेशी पूंजीपतियों की सेवा में लगी है। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने रंगभेदवादी हुकुमत के विरुद्ध लम्बे संघर्ष के बाद सुलह-समझौते के जरिए रंगभेदवादी सरकार के स्थान पर बहुमत की सरकार बनाने में सफलता पाई। लेकिन इस सुलह-समझौते से मिली सत्ता में गोरे पूंजीपतियों के हित सुरक्षित रखे। दक्षिण अफ्रीका में सोना, हीरा और प्लेटीनम का भारी भंडार है। इनकी मालिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। लोनमिन कंपनी का मुख्यालय लंदन में है और इसे पहले (गोरी नस्लवादी हुकूमत के समय) लोन्थो नाम से जाना जाता था। उस समय इसका मुखिया 'छोटा' रोलैण्ड नामक व्यक्ति था। इस कंपनी को अनुदारवादी ब्रिटिश प्रधानमंत्री तक ने 'पूंजीवाद का अप्रिय एवं अस्वीकार्य चेहरा' कहा था।

सोना, हीरा और प्लेटीनम की कंपनियों के देशी-विदेशी मालिकों के मुनाफे में पिछले 19 वर्षों में बेशुमार बढ़ोतरी हुई है जबकि खदान मजदूरों का जीवन दूभर हो रहा है। अभी मई महीने में ही लोनमिन कंपनी ने 9000 मजदूरों को नौकरी से बाहर कर दिया था। इस कंपनी में मजदूरों की काम की स्थितियां अत्यंत दयनीय हैं। सुरक्षा के उपाय न के बराबर हैं। रहने की जगहों की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। लोग बोरों के छप्पर डालकर रहने को मजबूर हैं। पीने के लिए साफ पानी नहीं है। अत्यंत अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में मजदूर रहते हैं। मजदूरों को इतनी मजदूरी नहीं मिलती कि वे अपने बच्चों को पढ़ाने की फीस दे सकें। लोनमिन व अन्य प्लेटीनम कंपनियां, ठेकेदारों के जरिए मजदूरों को रखती हैं। सस्ते मजदूरों की भर्ती के लिए वे दलालों/ठेकेदारों के माध्यम से अफ्रीका के अन्य देशों से मजदूरों को ले आते हैं। इन सबके कारण मजदूरों में गुस्सा लम्बे समय से पनप रहा था।

दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को पूंजीवादी ढर्रे पर बना व लागू कर रही है। इसने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की तर्ज पर देश की अर्थव्यवस्था को देशी-विदेशी मगरमच्छों के लिए खुला छोड़ दिया है। इसने 'कल्याणकारी राज्य' की नीतियों को कभी लागू किया ही नहीं। यही कारण है कि शायद नामीबिया को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका दुनिया का सबसे गैर-बराबरी वाला देश है। एक तरफ भयावह गरीबी में जीने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ छोटी सी पूंजीपतियों, राजनेताओं, ट्रेड यूनियन नेताओं की मंडली है। जो देश की सम्पदा पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। बेरोजगारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 प्रतिशत है। कुछ अनुमानों के अनुसार यह 40 प्रतिशत तक हो सकती है।

इन सब कारणों से दक्षिण अफ्रीका एक विस्फोट के कगार पर है। जन-असंतोष गुस्से का रूप लेकर जगह-जगह हिंसक झड़पों में व्यक्त हो रहा है। इसी जन असंतोष की एक कड़ी मारिकाना के खदान मजदूरों का संघर्ष था।

इस संघर्ष को खून की नदी में तब्दील करने से अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की जूमा की सरकार का रक्तपिपासु चेहरा सामने आ गया है। इसने न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के न्यायप्रिय व जनवादी लोगों के विवेक व संवेदना को झकझोरा है, बल्कि समूची दुनिया के सचेत मजदूरों, न्याय प्रिय लोगों और जनवादी ताकतों के विवेक व संवेदना को झकझोर दिया है।

यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका की हुकूमत कटघरे में आ गयी है। जिस जूमा को सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे उसे मजदूर वर्ग अब सुनना नहीं चाहता। राष्ट्रपति जूमा ने 23 अगस्त को मारे गये मजदूरों की याद में 'राष्ट्रीय शोक दिवस' मनाने का

आह्वान किया। लेकिन मजदूरों ने उनको नहीं सुना। मारिकाना में जाकर रक्षामंत्री ने माफी मांगी। मजदूरों ने नहीं सुना। राष्ट्रपति जैकब जूमा ने कहा "जो कुछ हुआ है, बहुत दुखद है। हम सभी आप लोगों के साथ रो रहे हैं।" मजदूरों ने उनके इस ढोंग पर विश्वास नहीं किया।

जबकि हकीकत यह है कि राष्ट्रपति जैकब जूमा की हुकूमत ने काले लोगों में कुछ ऊपरी तबके के लोगों को मालामाल करने में ही अपनी ताकत व समझ लगायी है। दक्षिण अफ्रीका के काले अभिजातों में 534 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुल सम्पदा 72 अरब अमरीकी डालर के बराबर है।

सबसे निकृष्ट भूमिका में राष्ट्रीय खदान मजदूर यूनियन का नेतृत्व रहा है। अभी तक इस यूनियन में 3 लाख सदस्य थे। यह कांग्रेस ऑफ साउथ अफ्रीकन यूनियन्स से सम्बद्ध है। राष्ट्रीय खदान मजदूर यूनियन का अस्तित्व 1946 में आ गया था। यह अफ्रीकी खदान मजदूर यूनियन गोरी रंगभेदवादी सरकार के समय बनी थी और उसने 12 अगस्त, 1946 को हड़ताल का आह्वान किया था। 16 अगस्त तक चली इस हड़ताल को गोरी रंगभेदवादी सरकार ने कुचल दिया था। इसमें 9 मजदूर मारे गये थे और सैंकड़ों ट्रेड यूनियन के कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। इसमें दक्षिण अफ्रीका की कम्युनिस्ट पार्टी और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेता शामिल थे। हालांकि यह हड़ताल कुचली गयी थी। लेकिन इस हड़ताल के बाद दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदवादी गोरी सरकार के विरुद्ध लड़ाई एक नयी ऊंची मंजिल में पहुंच गयी थी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने अपनी एक हथियारबंद शाखा का गठन किया था।

उसी परम्परा से अपने को जोड़ने वाला राष्ट्रीय खदान मजदूर यूनियन का नेतृत्व इस समय लोनमिन कंपनी के पक्ष में खड़ा है और खदान मजदूरों का विरोधी हो चुका है। इसका पूर्व अध्यक्ष सिरिल रमाफोसा खुद करोड़पति हो चुका है और लोनमिन के निदेशक मंडल का सदस्य है। इसके सचिव ने पुलिस नरसंहार का समर्थन किया है। वह खुद मजदूरों को अराजकतावादी बता रहा है। चूंकि राष्ट्रीय खदान मजदूर यूनियन का मजदूरों के बीच जनाधार खिसक रहा है इसलिए वे और अधिक बौखला गये हैं। राष्ट्रीय खदान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह मारिकाना के खदान मजदूरों के बीच खुलेआम जाए। वह पुलिस की गाड़ी में बैठकर मजदूरों को सम्बोधित कर रहा था। इस खदान मजदूर यूनियन का चरित्र मजदूर विरोधी सिद्ध हो चुका है।

इस संघर्ष का नेतृत्व हाल ही में गठित एशोसिएशन ऑफ माइन वर्कर्स एंड कांस्ट्रक्शन यूनियन कर रही थी। इसका साथ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से निलम्बित उसका एक समय का युवा नेता जुलियस कालेका दे रहा है। लेकिन जुलियस कालेका का दृष्टिकोण वही है जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का है। इसीलिए विभिन्न प्लेटीनम कंपनियों के मालिक व प्रबंधकगण यह चाहते हैं कि राष्ट्रीय खदान मजदूर यूनियन के साथ-साथ एसोसिएशन ऑफ माइन वर्कर्स एंड कंस्ट्रक्शन यूनियन को भी मान्यता दे दी जाए। यह यूनियन अभी तो लड़ाई में खदान मजदूरों के साथ है लेकिन यह भी मजदूरों के संघर्ष को दूर तक नहीं ले जाना चाहती।

इस नरसंहार के बाद मजदूरों का संघर्ष न सिर्फ मारिकाना में बल्कि आसपास के अन्य प्लेटिनम खदान मजदूरों के बीच जारी है। शहीद मजदूरों की याद में मारिकाना खदान की पहाड़ी पर विभिन्न खदान कम्पनियों के हजारों मजदूर इकट्ठे हुए। कई खदान कम्पनियों में यह संघर्ष फैल रहा है। अमेरिकन प्लेटिनम कम्पनी और रॉयल बैफोकेंग प्लेटिनम के मजदूरों ने वही मजदूरी में बढ़ोत्तरी की मांग की है जो मारिकाना के खदान मजदूर कर रहे हैं। इसमें भी उन्होंने राष्ट्रीय खदान मजदूर यूनियन के जरिए यह मांग नहीं की है। उन्होंने खुद अपने प्रतिनिधि चुनकर यह मांग की है। इसकी सफाई एसोसिएशन ऑफ माइन वर्कर्स एवं कांस्ट्रक्शन यूनियन के नेताओं ने यह कहकर की है कि वे इस मांग के पीछे नहीं हैं। यह कहने का यह एक आधार है कि वे इस संघर्ष को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

दक्षिण अफ्रीका के प्लेटिनम खदान मजदूरों का यह संघर्ष और इस संघर्ष में हुई शहादत का बदला न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का मजदूर वर्ग लेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूंजीवाद की कब्र खोदने में अपने प्रयासों को कई गुना बढ़ाकर वह बदला लेगा।

लेकिन उसे यह करते हुए यह ध्यान से रखना चाहिए कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की एक हद तक सकारात्मक भूमिका अल्पमत की गोरी रंगभेदवादी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने में जो थी वह अब समाप्त हो गयी है। नेल्सन मंडेला की विरासत को संभालने वाले लोग वे काले अभिजात व पूंजीपति वर्ग हैं जो काले लोगों के सशक्तीकरण के फलस्वरूप फले-फूले हैं और मजदूर-मेहनतकश वर्ग के दुश्मन हैं।

यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका की सत्ता में वे काले लोग हैं जो लीबिया में 'नो फ्लाई जोन' के नाटो के प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र संघ में समर्थन करते हैं। इसके कारण लीबिया में 80 हजार या इससे ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिये गये।

दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला की विरासत वाली सत्ता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। साम्राज्यवाद की कनिष्ठ साझेदार है। देशी-विदेशी पूंजीपतियों की हितसाधक है और मजदूर वर्ग की दुश्मन है।

जब तक मजदूर वर्ग व उसके मेहनतकश सहयोगी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और उसकी सत्ता में सहयोगी दक्षिण अफ्रीका की तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ऑफ साउथ अफ्रीकन ट्रेड यूनियन के असली मजदूर-मेहनतकश विरोधी चरित्र को नहीं पहचान लेंगे तब तक 16 अगस्त के शहीदों के बलिदान का बदला नहीं लिया जा सकेगा। दक्षिण अफ्रीका और दुनिया के मजदूरों को कहना होगा "जो खून गिरा है धरती पर उस खून का बदल हम लेंगे।"

('नागरिक' से साभार)

सर्वभारतीय श्रमिक मंच के गठन का प्रस्ताव

आजकल हरेक जगह पर कल-कारखानों के मालिक एक ही तरह से श्रमिकों पर हमले कर रहे हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों का पालन करते हुए वी.आर.एस. के तहत श्रमिकों की छंटनी कर पूरे देश में कारखानों में ठेका-मजदूरों के जरिए काम कराया जा रहा है। रिटायर हो रहे मजदूरों की जगह पर स्थायी मजदूरों की भर्ती करने की बजाय ठेका मजदूरों को रखा जा रहा है और इस तरह से मालिक लोग अकूत मुनाफा बटोर रहे हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों के लागू होने से पहले श्रमिकों के पास जो भी थोड़े बहुत अधिकार बचे हुए थे, आज उन्हें भी छीना जा रहा है। सेज (एस.ई.जेड.) अर्थात् विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम पर मालिकों का मुक्तांचल तैयार हो रहा है। जहां मालिकों की कही बात ही अंतिम मानी जाएगी। श्रमिकों का कोई अधिकार नहीं होगा। वहां पर 10-12 घंटे काम कराने की एवज में 100-150 रुपये की ही दिहाड़ी होगी। असलियत तो यह है कि हरेक कारखाने में काम का बोझ बढ़ाना, तनख्वाह में कटौती और छंटनी रोजाना की बात बन गई है।

इस असहनीय हालत में मार खाते-खाते मजदूरों के सामने उठ खड़े होकर प्रतिकार करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। यह गौरतलब है कि आज विभिन्न कारखानों के श्रमिक पुरानी यूनियनों और नेताओं को खारिज कर नए ढंग से अपनी स्वतंत्र यूनियनें बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूर साथियों को अपने अनुभवों से यह एहसास हो रहा है कि ज्यादातर पुरानी स्थापित यूनियनें खुल्लमखुल्ला मालिकों की ताबेदारी और जी-हुजुरी करती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही नेता, पुलिस, प्रशासन, अदालत मालिकों के मददगार हैं जिसके फलस्वरूप आज मालिक लोग अत्यधिक ताकतवर बन चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही आज की परिस्थिति का एक दूसरा पहलू भी है। विभिन्न कारखानों के श्रमिक लंबे समय की निष्क्रियता और हताशा से उबर कर दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी खुद की स्वतंत्र यूनियनें बना रहे हैं। मारूती-सुजुकी, सी.ई.एस.सी., एन.टी.पी.सी., बी.एस.एन.एल. जैसे कारखानों/उपक्रमों में श्रमिक पुरानी बेदम यूनियनों को खारिज कर संगठन संचालन की जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से अपने हाथों में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे हरेक जगह पर कामयाब ही हो रहे है क्योंकि हम श्रमिक अभी भी अलग-अलग हैं। और अलग-अलग रह कर मालिकों के हमलों को पूरी तरह से रोक पाना संभव नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि जूट मिलों में स्थापित पुरानी यूनियनों को एक किनारे कर मजदूरों ने खुद अपने बल-बूते पर मालिकों के जुल्मों के खिलाफ संघर्ष तो कई बार किया है लेकिन यह लड़ाई टिकाऊ साबित नहीं हो पाई है। श्रमिक एकजुट होकर संघर्ष नहीं कर पाए क्योंकि उनका अपना कोई मंच नहीं था। ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय स्तर पर अगुवा श्रमिकों के एक शक्तिशाली मंच की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। विभिन्न कल-कारखानों में तेजी के साथ स्वतंत्र यूनियनें बनाने का दौर जारी है। श्रमिकों की इन कोशिशों में प्रस्तावित मंच सहायक साबित होगा और इससे उन श्रमिकों में भी भरोसा कायम होगा जो स्वतंत्र यूनियन बनाने में हिचकिचा रहे हैं या डर रहे हैं।

दूसरी ओर अखिल भारतीय स्तर पर मलिक वर्ग, सरकार और पार्टियों का अशुभ गठजोड़ वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों के तहत श्रमिकों के खिलाफ हमलों को जारी रखा है। प्रस्तावित मंच इन हमलों के खिलाफ प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा। सरकार और मालिक मजदूरों की लड़ाई पर रोक लगाने के लिए काला-कानून लाने की साजिश कर रहे हैं। प्रस्तावित श्रमिक मंच इस साजिश का प्रतिकार करने और मजदूरों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रचार कार्यों को हाथ में लेगा। ये सब काम एक अखिल भारतीय मंच के बिना संभव नहीं हो पाएंगे।

सर्व भारतीय श्रमिक मंच प्रस्तुति कमेटी के गठन के लिए यह सही समय है। यह प्रस्तुति कमेटी देश भर में अगुवा श्रमिकों तक यह संदेश पहुंचाएगी कि सरकार-मालिक-पार्टी गठबंधन द्वारा देश भर में श्रमिकों के खिलाफ किए जा रहे हमलों को अलग-अलग कारखानों में अलग-अलग रहते हुए रोक पाना संभव नहीं है। मालिकों को पराजित करने के लिए श्रमिकों की देश व्यापी लड़ाई शुरू करने के लिए श्रमिकों का सर्व भारतीय मंच बनाना बेहद जरूरी है। मजदूर साथियों, इसकी शुरूआत अभी से करना आवश्यक है। हम लोग संख्या की दृष्टि से कितने भी कम क्यों न हों, शुरूआत करने के लिए यह संख्या पर्याप्त है। आज श्रमिकों की जो स्थिति है और पुरानी स्थापित यूनियनों और नेताओं के प्रति अविश्वास और नफरत की भावना के चलते आज श्रमिकों के बीच खुद अपनी लड़ाई लड़ने और अपने स्वतंत्र संगठन बनाने का जो माहौल बना है, वह 8-10 साल पहले नहीं था। इसके साथ ही हमें यह भी तय करना होगा कि प्रस्तावित श्रमिक मंच में गैर-मजदूर पढ़े-लिखे बाबुओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। श्रमिक मंच का संचालन खुद श्रमिक करेंगे। सामूहिक आलोचना के जरिए हम अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस तरह मजदूर नेतृत्व को एक आदर्श स्थिति तक ले जाने में कामयाबी हासिल करेंगे।

सर्व भारतीय श्रमिक मंच निम्नलिखित कार्य करेगा-

(क) मालिक वर्ग द्वारा वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों के तहत श्रमिक वर्ग पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ श्रमिकों से अखिल भारतीय स्तर पर एकताबद्ध संघर्ष का

आह्वान करना और केन्द्रीय स्तर पर प्रचार और विरोध।

(ख) मालिक वर्ग और सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के दमन के लिए बनाए गए/बनाए जाने वाले काले कानूनों का विरोध।

(ग) जात-पात और धर्म के नाम पर श्रमिकों को बांटने की साजिशों का विरोध।

(घ) अन्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर श्रमिकों के बीच एक राय बनाने की कोशिशें।

(ड़) श्रमिकों और अन्य मेहनतकश तबकों की लड़ाइयों का समर्थन देना।

(च) जहां कहीं भी श्रमिक अपने संघर्ष के लिए गोलबंद होंगे उनका साथ देना।

(छ) यह मंच पूरी तरह से श्रमिकों द्वारा संचालित होगा और इसमें किसी भी राजनीतिक दल या समूह का हस्तक्षेप नहीं होगा।

(ज) सभी श्रमिक अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र होंगे और सभी फैसलों को लोकतांत्रिक तरीकों से लिया जाएगा।

साथियों, हम मजदूर साथ-साथ चलने की बात सोचते हैं। मिल बैठक विचार करने का यही सही समय है। हमें इस समय का इस्तेमाल कर मंच का गठन करना होगा। यह काम इतनी आसानी से हो जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यह काम असंभव भी नहीं है। मंच के संचालन के लिए प्रस्तुति कमेटी बनानी होगी। यह प्रस्तुति कमेटी देश के अलग-अलग राज्यों में श्रमिकों से संपर्क स्थापित करने और मजदूरों को संगठित करने का काम करेगी। हमें इसी समय से भारतीय श्रमिक मंच गठित करने के लिए कदम-दर-कदम बढ़ना होगा।

-कमेटी के लिए तैयार समिति

('हमारी सोच' से साभार)

साथी हाथ बढाना

-साहिर लुधियानवी

साथी हाथ बढ़ाना -2
एक अकेला थक जाएगा, मिल कर बोझ उठाना
साथी हाथ बढ़ाना
साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे-3

हम मेहनत करने वालों ने जब भी कदम बढ़ाया
सागर ने रस्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया
फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाँहें
हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें
साथी हाथ बढ़ाना - .....

मेहनत अपने लेख की रेखा मेहनत से क्या डरना
कल गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना
अपना दुःख भी एक है साथी अपना सुख भी एक
अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रस्ता नेक
साथी हाथ बढ़ाना .....

एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया
एक से एक मिले तो जर्रा बन सकता है सहराँ
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत
एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत
साथी हाथ बढ़ाना .....

माटी से हम लाल निकालें मोती लाएं जल से
जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से
कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें
हाथ बढ़ा कर छीन लो अपने सपनों की ताबीरें
साथी हाथ बढ़ाना .....

बोल मजूरे हल्ला बोल

हल्ला बोल भई हल्ला बोल भई हल्ला बोल भई हल्ला बोल
बोल मजूरे हल्ला बोल, बोल मजूरे हल्ला बोल
हल्ला बोल

कांप उठी सरमाएदारी खुलके रहेगी इसकी पोल
बोल मजूरे हल्ला बोल.....

खून को अपने बना पसीना तूने बाग लगाया है
कुंए खोदे नहर निकाली ऊंचा महल उठाया है
चट्टानों में फूल खिलाए शहर बसाए जंगल में
अपने चौड़े कन्धों पर दुनिया को यहां तक लाया है
बांकी फौज कमेरों की है, तू है नहीं भेड़ों की गोल
बोल मजूरे हल्ला बोल.....

गोदामों में माल भरा है नोट भरे हैं बोरों में
बेहोशों को होश नहीं है नशा चढ़ा है जोरों में
इसका दामन उसने फाड़ा उसका गिरेबां इसके हाथ
कफनखसोटों का झगड़ा है होड़ मची है चोरों में
ऐसे में आवाज उठा दे, ला मेरी मेहनत का मोल
बोल मजूरे हल्ला बोल.....

सिहर उठेगी लहर नदी की सुलग उठेगी फुलवारी
कांप उठेगी पत्ती-पत्ती चटखेगी डारी-डारी
सरमायेदारों का पल में नशा हिरन हो जाएगा
आग लगेगी नन्दन वन में दहक उठेगी हर क्यारी
सुन-सुन कर तेरे नारों को धरती होगी डावांडोल
बोल मजूरे हल्ला बोल
हल्ला बोल भई हल्ला बोल, बोल मजूरे हल्ला बोल ।।।

-जन नाट्य मंडली

इक कथा सुनो रे लोगों....

-आह्वान नाट्य टोली

इक कथा सुनो रे लोगों-2
अरे हम मजदूरों की ये कहानी
और करीब से जानो
इक कथा सुनो रे लोगो
भाइयो..... बहिनो..... बहिनो..... भाइयो.....

अपनी मेहनत से भाई, धरती की हुई खुदाई
माटी में बीज को बोया, धरती भी दुल्हन बनाई
पसीना हमने ही बहाया, जमींदार ने खूब कमाया
साहूकार के कर्ज ने हमको गांव से शहर भगाया
अरे दाने दाने को मजदूर तरसे....
जीने की कठिनाई
ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि -
ये सामन्ती राज है
खाने को दाना नहीं
पीने को पानी नहीं
रहने को घर नहीं
पहनने को कपड़ा नहीं
ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई
भाइयो..... बहिनो..... बहिनो..... भाइयो.....

अपनी मेहनत से भाई, धरती की हुई खुदाई
माटी का बनाया गारा, गारे से ईंट बनाई
ईंटों से महल बनाने, पसीना बहाया हमने
धनवान को मिली सुविधा, सुख चैन भुलाया हमने
अरे अपना ही रहने का घर
नहीं बना है भाई
ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि -
ये बिल्डरों का राज है
खाने को दाना नहीं
पीने को पानी नहीं
रहने को घर नहीं
पहनने को कपड़ा नहीं
ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई
भाइयो..... बहिनो..... बहिनो..... भाइयो.....

अपनी मेहनत से भाई, रुई का सूत बनाया
उसको चढ़ा पहिए पर, कपड़ा हमने ही बनाया
कपड़े को रंग-बिरंगी झालर भी चढ़ाई हमने
टी. बी. को भी अपनाया, और माल लिया मालिक ने
अरे हम अधनंगे मुर्दाघाट पे
कफन की भी मंहगाई
ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि -
ये मालिकों का राज है
खाने को दाना नहीं
पीने को पानी नहीं
रहने को घर नहीं
पहनने को कपड़ा नहीं
ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई
भाइयो..... बहिनो..... बहिनो..... भाइयो.....

अब खबर सुनो इक ताजी, सरकार की सौदेबाजी
धनवान को खुश रखने को, हमसे ही की दगाबाजी
एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया
झोंपड़े को पुलिस के हाथों बेरहमी से तुड़वाया
अरे तीन साल की सजा भी हो गई
और मिली है पिटाई
ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि -
ये पुलिस का राज है
खाने को दाना नहीं
पीने को पानी नहीं
रहने को घर नहीं
पहनने को कपड़ा नहीं
ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई
भाइयो..... बहिनो..... बहिनो..... भाइयो.....
अब जात-धर्म को छोड़ो, मजदूर का रिश्ता जोड़ो
अपने संगठनों के बल पर झूठी संसद को तोड़ो
जब अपना शासन होगा, सबके घर राशन होगा
दुनिया मजदूर के बल पर मजदूर का शासन होगा
अरे नारा लगाओ इन्कलाब का
सब ही मिटेगी बुराई
ये सब कब होगा भाई
जब मजदूर का राज होगा
खाने को दाना होगा
पीने को पानी होगा
रहने को घर होगा
पहनने को कपड़ा होगा
ऐसे राज का लाना भाई
भाइयो..... बहिनो..... बहिनो..... भाइयो.....
ऐसे राज को लाना भाई .....

वो सुबह कभी तो आयेगी

-साहिर लुधियानवी

इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा
जब दुख के बादल पिघलेंगे जब सुख का सागर छलकेगा
जब अम्बर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमें गायेगी
वो सुबह कभी तो आयेगी।

जिस सुबह की खातिर जुग-जुग से हम सब मर-मर कर जीते हैं
जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं,
इन भूखी-प्यासी रूहों पर इक दिन तो करम फरमायेगी
वो सुबह कभी तो आयेगी।

माना कि अभी तेरे-मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं
मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इन्सानों की कीमत कुछ भी नहीं
इन्सानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों से न तौली जायेगी
वो सुबह कभी तो आयेगी।

दौलत के लिए जब औरत की अस्मत को न बेचा जायेगा
चाहत को न कुचला जायेगा, गैरत को न बेचा जायेगा
अपनी काली करतूतों पर जब ये दुनिया शरमायेगी
वो सुबह कभी तो आयेगी।

बीतेंगे कभी तो दिन आखिर, ये भूख के और बेकारी के
टूटेंगे कभी तो बुत आखिर, दौलत की इजारेदारी के
जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठायी जायेगी
वो सुबह कभी तो आयेगी।

मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फांकेगा
मासूम लड़कपन जब गन्दी गलियों में भीख न मांगेगा
हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जायेगी
वो सुबह कभी तो आयेगी।

फाकों की चिंताओं पर जिस दिन इंसां न जलाये जायेंगे
सीनों के दहकते दोजख में अरमां न जलाये जायेंगे
ये नरक से भी गन्दी दुनिया, जब स्वर्ग बनायी जायेगी
वो सुबह कभी तो आयेगी।

जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे
जब पाप-घरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बन्धन टूटेंगे
उस सुबह को हम ही लायेंगे, वो सुबह हमीं से आयेगी!
वो सुबह हमीं से आयेगी।

मनहूस समाजी ढांचों में, जब जुर्म न पाले जायेंगे
जब हाथ न काटे जायेंगे, जब सर न उछाले जायेंगे
जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलायी जायेगी
वो सुबह हमीं से आयेगी।

संसार के सारे मेहनतकश खेतों से, मिलों से निकलेंगे
बेघर, बेदर, बेबस इंसां, तारीक बिलों से निकलेंगे
दुनिया अमन और खुशहाली के फूलों से सजायी जायेगी
वो सुबह हमीं से आयेगी।

राजेश उपाध्याय द्वारा फ्लैट नंबर बी-1, ओम प्लाजा, प्लाट-97, राजेन्द्र नगर सेक्टर-5, साहिबाबाद, जिला- गाजियाबाद (उ.प्र.), पिन-201005 से प्रकाशित और उद्यम द्वारा दुकान नंबर ए -1, हनुमान मंदिर काम्प्लेक्स, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।